ncrtc

भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य
सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम

वार्षिक रिपोर्ट
2019 - 2020

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
(भारत सरकार और प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

गति से प्रगति

लक्ष्य

जनजीवन की गुणवत्ता की उन्नति हेतु
साम्यिक, तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक,
दक्ष एवं सतत गतिशीलता प्रदान कर
एनसीआर के आर्थिक विकास को गति देना।

वार्षिक रिपोर्ट
2019 - 2020

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएटस्
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

सचिवीय लेखाकार
मैसर्स मनोज पुर्बे एंड एसोसिएटस्
कम्पनी सचिवीय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव
श्री विजय कुमार

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय:
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
7/6, सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली – 110049
फोनः + 91 11 41066943, फैक्सः +91 11 41066953
CIN NO. U60200DL2013GOI256716
www.ncrtc.in

अनुक्रमणिका

1	निदेशक मंडल	2
2	अध्यक्ष का अभिभाषण	3
3	बोर्ड की रिपोर्ट	6
4	सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक–1)	25
5	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक–2)	28
6	कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की रिपोर्ट (अनुलग्नक–3)	30
7	फॉर्म संख्या एमजीटी 9 – वार्षिक रिर्टन का सारांश (अनुलग्नक–4)	37
8	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	44
9	लेखापरीक्षक का अनुपालन प्रमाण पत्र	52
10	तुलन पत्र	55
11	लाभ–हानि का विवरण	57
12	नकदी प्रवाह विवरण	59
13	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	61
14	वित्तिय विवरणों के लिए टिप्पणियां	65
15	भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां	105

निदेशक मंडल

(25 सितम्बर, 2020 को)

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा
अध्यक्ष
सचिव (यूडी)
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
डीआईएन: 02944212

श्रीमति अर्चना अग्रवाल
निदेशक
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
डीआईएन: 02105906

श्री कामरान रिज़वी
निदेशक
अपर सचिव,
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
डीआईएन: 01653503

श्री हरि मोहन गुप्ता
निदेशक
कार्यकारी निदेशक / एमटीपी,
रेल मंत्रालय
डीआईएन: 08453476

श्री अपूर्व कुमार सिंह
निदेशक
हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड
शहरी एस्टेट विभाग, टाउन एंड
कंट्री प्लानिंग निर्देशालय
डीआईएन: 01421375

श्री दीपक कुमार
निदेशक
प्रमुख सचिव (आवास),
उत्तर प्रदेश सरकार
डीआईएन: 07886176

श्री विजय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

श्री नरेश पाल गंगवार
निदेशक
प्रमुख सचिव (उद्योग),
राजस्थान सरकार
डीआईएन: 01180608

श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या
निदेशक / परियोजनाएँ
डीआईएन: 08507367

श्री महेन्द्र कुमार
निदेशक / ई एंड आरएस
डीआईएन: 07093637

श्री नवनीत कौशिक
निदेशक / प्रणाली
डीआईएन: 08624052

श्रीमति नमीता मेहरोत्रा
निदेशक / वित्त
डीआईएन: 07916304

एनसीआरटीसी के शेयरधारकों की 7वीं वार्षिक आम सभा

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकगण

मैं एनसीआरटीसी के निदेशक मंडल की ओर से इसकी 7वीं वार्षिक आम सभा में आप सबका हर्षपूर्वक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आप सबके सान्निध्य के लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक रिपोर्ट के साथ–साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां पहले ही आप सबको परिचालित की जा चुकी हैं और मैं आपकी अनुमति से उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं।

12 मई, 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने "आत्मनिर्भर भारत" के विजन की रूपरेखा में पांच स्तम्भों में से 'अवसंरचना" का एक स्तम्भ के रूप में उल्लेख किया था जो "आत्मनिर्भर भारत" के विजन का आधार है। इस बात को साझा करना मेरा सौभाग्य है कि आपकी कंपनी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से अगली पीढ़ी की गतिशील अवसंरचना का सृजन करने में देश के साथ खड़ी है।

आपकी कंपनी को आरआरटीएस नेटवर्क को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें तीन कॉरिडोर – दिल्ली–मेरठ, दिल्ली–अलवर, और दिल्ली–पानीपत शामिल हैं, यह नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, रोजगार और आर्थिक अवसरों की पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए एक सरकार की एक प्रमुख रणनीति है। इसमें खतरनाक वायु प्रदूषण, अत्यधिक भीड़भाड़ और अप्रबंधनीय शहरी फैलाव जैसे गंभीर मुद्दों पर भी संधारणीय आधार पर द्रुत, सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय और ऊर्जा दक्ष हरित गतिशील समाधान देकर ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पर विचार करते हुए मैं हर्षपूर्वक आपको सूचित करना चाहता हूं कि प्राथमिकता वाले इन सभी कॉरिडोर को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में शामिल कर लिया गया है, जिसे आर्थिक कार्य विभाग ने हाल ही में अंतिम रूप दिया है और माननीय वित्त मंत्री ने इसका अनावरण किया है।

मैं संक्षेप में इन तीन आरआरटीएस कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करूंगा:

क. प्राथमिकता वाले तीन आरआरटीएस कॉरिडोर की स्थिति

1. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ

i. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ के बीच 82 कि.मी. के आरआरटीएस की पहली परियोजना को भारत सरकार ने मार्च, 2019 में स्वीकृत किया था और पूरे कॉरिडोर को 2025 में शुरु किया जाना अपेक्षित है।

ii. दिल्ली–मेरठ के प्राथमिकता वाले भाग में दो संविदाएं (पैकेज 1 – साहिबाबाद और गाज़ियाबाद स्टेशनों सहित साहिबाबाद से गाज़ियाबाद और पैकेज 2 – गाज़ियाबाद से दुहाई में गुलधर और दुहाई स्टेशनों सहित) 2019 में सौंपी गईं और निर्माण कार्य जून, 2019 के प्रथम सप्ताह में शुरू हो गया। निर्माण कार्य अच्छी प्रगति पर है। दोनों पैकेजों में वायाडक्ट के लिए प्रीकास्ट गार्डर हिस्से की कास्टिंग और उत्थापन शुरू हो गया है। अन्य सिविल निर्माण बोलियों को अगले दो महीनों में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

iii. दो पैकेजों नामतः पैकेज 3, लॉट–1 दुहाई से मोदी नगर (15.5 कि.मी.) में दो एलिवेटिड स्टेशनों के साथ और पैकेज 3, लॉट–2 मोदीनगर से शताब्दीनगर (15.5 कि.मी) में पांच एलिवेटिड स्टेशनों के लिए 31 कि.मी. के हिस्से की संविदाएं मार्च, 2020 में सौंपी गईं। इन दो पैकेजों में कार्य 23 जुलाई, 2020 से शुरू हो गया है। शेष सिविल कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

iv. कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कर्मठतापूर्वक कार्य करना जारी रखा और आरआरटीएस एवं एमआरटीएस ट्रेनसेटों की अधिप्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत

पर तथा सरकार की मेक इन इंडिया नीति का अनुपालन करते हुए 5 मई, 2020 को ऑर्डर दिया। इस संविदा के अंतर्गत कार्य अच्छी प्रगति पर है। पटरियों की अधिप्राप्ति के लिए भी निविदा सौंपी जा चुकी है। शेष प्रमुख सिविल एवं ट्रेक्शन पैकेज का मूल्यांकन किया जा रहा है। सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण एवं दूरसंचार प्रणाली के साथ–साथ प्लेटफार्म स्क्रीन दरवाजों के लिए मेक इन इंडिया प्रावधानों के साथ निविदा आमंत्रित की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी पैकेजों को इस वर्ष के अंत तक सौंपा जाना अपेक्षित है। कोविड–19 के कारण उत्पन्न कठिनाइयों में गतिविधियों की गति वास्तव में प्रशंसनीय है।

2. दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी

i. दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर के तीन चरणों में से, चरण–1 नामतः दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन एनसीआरटीसी के निदेशक मंडल ने 06.12.2018 को आयोजित अपनी 17वीं बैठक में किया था। इसके बाद, इस डीपीआर को हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने अनुमोदित किया। यह उपर्युक्त डीपीआर भारत सरकार की स्वीकृति के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

ii. इस कॉरिडोर के चरण–2 नामतः एसएनबी से सोतानाला (34 कि.मी.) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन एनसीआरटीसी के निदेशक मंडल ने 13.03.2020 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में किया और इसे राज्य सरकारों के पास उनके विचारार्थ और अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

3. दिल्ली–पानीपत

दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर (103 कि.मी.) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन भी एनसीआरटीसी के निदेशक मंडल ने 13.03.2020 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में कर दिया है। उक्त डीपीआर को संबंधित राज्य सरकारों के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

पूरे भारत में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के फैल जाने और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने 'प्रधानमंत्री आपातकालीन स्थिति नागरिक सहायता और राहत कोष' (पीएम केयर्स फंड) में सीएसआर गतिविधियों में खर्च के लिए 3,00,00,00/– रुपए का अंशदान किया है।

ख. बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधिक की स्थिति

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के लिए एडीबी, एआईआईबी और एनडीबी से 2 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण का वित्तपोषण अपेक्षित है। एडीबी ने 08 सितम्बर, 2020 को 1049 मिलियन अमरीकी डॉलर तय ऋण सुविधा से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एआईआईबी की निवेश समिति ने 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण की अनुशंसा की है। इसे शीघ्र ही एआईआईबी के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के लिए एनडीबी का कार्य अंतिम चरण पर है और ऋण पर सौदेकारी शीघ्र ही अपेक्षित है।

ग. प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी ने विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलें यथा "परियोजना की दक्ष सुपुर्दगी के लिए प्रणालीबद्ध प्रोग्राम मूल्यांकन" – स्पीड जो एक आंतरिक परियोजना प्रबंध एवं मॉनिटरिंग टूल है, "सभी निर्माण एवं निर्माण पूर्व आरेखणों के समान संग्रह के अनुरक्षण हेतु कॉमन डाटा पर्यावरण" तथा उपस्थिति एवं फाइल ट्रैकिंग के लिए ऐप, आदि शुरू की हैं।

घ. मेक इन इंडिया रणनीति

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपकी कंपनी आरआरटीएस के कार्यान्वयन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, और यह परियोजना योजना चरण की शुरूआत से ही एनसीआरटीसी की अभिन्न रणनीति रही है। एडीबी, एआईआईबी और एडीबी वित्तपोषी एजेंसी होने के साथ एनसीआरटीसी ने विभिन्न एजेंसियों के दायरे में उप–प्रणाली/संविदा पैकेजों को शामिल करने की रणनीति अपनाई है ताकि घरेलू उद्योग सामर्थ्य का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके जहां पर वे सापेक्ष रूप से मजबूत हैं। उप–प्रणालियों के लिए, जहां पर देश में घरेलू सामर्थ्य जैसे सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा रोलिंग स्टॉक विकास के चरण में है, इसलिए एनसीआरटीसी ने वित्तपोषण को अपनाया है ताकि 'मेक इन इंडिया' खंड को अधिप्राप्ति में शामिल किया जा सके। उपर्युक्त रणनीति के परिणामस्वरूप, एनसीआरटीसी भारत सरकार की मेक–इन–इंडिया नीति की भावना को आरआरटीएस की सभी उप–प्रणालियों में बढ़ावा देने में सफल रही है।

- **सिविलः** लगभग 50 कि.मी. के निर्माण को 3 पैकेजों में वितरित करने के लिए संविदाओं को सौंपा गया है।
- **रोलिंग स्टॉकः** यह पैकेज मेक–इन–इंडिया दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया और संविदा मैसर्स बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लिमिटेड को अर्वाड कर दी गई है। इस संविदा के प्रावधानों के अनुसार 100% ट्रेनसेटों का निर्माण मैसर्स बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा इसके सावली, वडोदरा, गुजरात में स्थित कारखाने में किया जाएगा जिसमें 80% से अधिक देश में बना सामान इस्तेमाल होगा।
- **सिग्नलिंग एवं दूरसंचारः** मेक–इन–इंडिया दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
- **ट्रेक अवसंरचनाः** आरआरटीएस जैसी जटिल उच्च–गति (180 कि./घण्टा की डिजाइन गति) के लिए ट्रेक एक अति महत्वपूर्ण घटक है। आज के दिन इस डिजाइन गति के लिए गिट्टी रहित (बैलास्टलैस) ट्रैक प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि घरेलू ठेकेदार ट्रैक संरचना के कार्यान्वयन में न केवल भाग लें बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यान्वित की जा रही इस प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भारतीय उद्योग में हो ताकि इसका उपयोग भावी परियोजनाओं में हो सके।
- **प्लेटफार्म स्क्रीन दरवाजों का स्वदेशीकरण (पीएसडी):** मुझे इस बात की सूचना देते हुए खुशी है कि आपकी कंपनी ने पीएसडी के स्वदेशीकरण की जिम्मेदारी ली है और इस प्रयोजन के लिए ईओआई जारी कर दिया गया है। इसके लिए हमें काफी अधिक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। पीएसडी का निर्माण, भारत में ही काफी कम लागत पर किया जाएगा, जिनका इस समय आयात किया किया जा रहा है।

ड़. आभार

ये सभी उपलब्धियां केवल आपकी कंपनी के कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों से संभव हो सकी हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने कोविड–19 से उत्पन्न अप्रत्याशित चुनौतियों को पूरा करने में खुद को योग्य साबित किया। मेरा विश्वास है कि कर्मचारियों की इस प्रकार की कर्मठता, प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता अब कंपनी में ही उपलब्ध है, जिससे भविष्य की सभी प्रतिबद्धताओं को बड़ी ही आसानी के साथ पूरा किया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार की बड़ी अवसंरचना वाली परियोजनाओं में निहित चुनौतियों और जटिलताओं का सामना करने के साथ–साथ सभी स्तरों पर अपने समर्पण, प्रतिबद्धता और निष्पादन से शेयरधारकों की अपेक्षाओं को भी बढ़ा पाएंगे, जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं। मैं शेयरधारकों, अपने मूल्यवान हितधारकों के निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए उनका अत्यधिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों और बैंकरों का भी उनके हार्दिक सहयोग और समर्थन के लिए निष्ठा से आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद,

ह./-
(दुर्गा शंकर मिश्रा)
अध्यक्ष
एनसीआरटीसी

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 25.09.2020

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके निदेशकों को कम्पनी की सातवीं (7वीं) वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं: (राशि लाख रु. में)

विवरण	2019-20	2018-19
कुल आय (आय मुख्यतः सावधि जमा/फ्लेक्सी जमा पर ब्याज से)	39,07.49	7,67.29
व्यय (कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्य ह्रास और अन्य व्यय)	4,58.85	3,83.25
कर से पूर्व लाभ	**34,48.64**	**3,84.04**
कर व्यय	7,63.88	1,05.01
कर के उपरांत लाभ	**26,84.76**	**2,79.03**
वर्ष के अंत में निवल संपत्ति	8,05,40.66	3,88,14.56
वर्ष के अंत में संचयी पूंजीगत व्यय	9,89,98.59	2,59,49.75

2. पूंजीगत संरचना

कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 100.00 रु. है।

हितधारक प्रतिशतता के साथ शेयरधारिता की मौजूदा सीमा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	राशि (लाख रु में)	प्रतिशतता
1	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	22,50.00	22.50
2	रेल मंत्रालय	22,50.00	22.50
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5,00.00	5.00
4	राष्ट्रीय रजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	12,50.00	12.50
5	हरियाणा सरकार	12,50.00	12.50
6	राजस्थान सरकार	12,50.00	12.50
7	उ.प्र. सरकार	12,50.00	12.50
	कुल	**1,00,00.00**	**100**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है।

3. लाभांश

आपकी कम्पनी को अभी कार्य संचालन आरंभ करना है और वर्ष के दौरान लाभ केवल 'अन्य आय' से अर्थात मुख्यतः सावधि जमा/फ्लेक्सी जमा पर ब्याज से है। अतः वर्ष 2019–20 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

4. सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन

लाभ को प्रतिधारित आय के तौर पर रखा गया है और कोई भी राशि वर्ष 2019–20 के लिए सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित की जाने के लिए संस्तुत नहीं है।

5. परियोजना का भावी परिदृश्य और स्थिति

भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को वास्तविकता में परिणत करने के सभी प्रयास किया जा रहा है और आपकी कम्पनी इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। संपूर्ण प्रापण कार्य नीति मेक–इन–इंडिया और आत्म–निर्भरता के प्रवर्तन के उद्देश्य से संचालित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) भी तैयार की है और हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एनआईपी में सभी तीन आरआरटीएस कॉरिडोर शामिल हैं।

मार्च 2019 में संस्वीकृत दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में कार्य इस समय पूर्ण गति से चल रहा है।

क. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना की स्थिति

I. सिविल निर्माण कार्य –

1. **प्राथमिकता खंड:** वैशाली (साहिबाबाद) से पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे तक चार ऊपरगामी स्टेशनों और ऊपरगामी मार्ग–सेतु (वायाडक्ट) का निर्माण।

1.1. संपूर्ण प्राथमिकता खंड अर्थात साहिबाबाद–दुहाई के लिए ठेके दो पैकेजों में प्रदान किए गए हैं। (17 कि.मी का वायाडक्ट और साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर एवं दुहाई पर, चार ऊपरगामी स्टेशन)। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

1.2. साहिबाबाद–दुहाई खंड में 9 कि.मी. लम्बे वायाडक्ट में खंभे लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और प्राथमिकता कॉरिडोर के सभी 4 स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है।

1.3. दोनों पैकेजों के लिए वायाडक्ट हेतु प्रीकास्ट गर्डर खंड के उत्थापन का कार्य आरंभ हो चुका है।

1.4. इस खंड के लिए दुहाई डिपो के निर्माण और पीईबी कार्यों के लिए निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है और वास्तु कार्यों की निविदाओं को अभी खोला जाना है।

2. दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का शेष खंड

2.1. 31 कि.मी. विस्तार के लिए ठेके दो पैकेजों में प्रदान किए गए हैं; दो ऊपरगामी स्टेशनों सहित दुहाई से मोदीनगर (15.5 कि.मी) और पांच ऊपरगामी स्टेशनों सहित मोदीनगर से शताब्दीनगर (15.5 कि.मी)।

2.2. सराय काले खां से आनंद विहार खंड तक ऊपरगामी वायाडक्ट और स्टेशनों तथा आनंद विहार से साहिबाबाद खंड (16 कि.मी) में सुरंगों और भूमिगत खंड के निर्माण के लिए निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

2.3. शताब्दी नगर से रैम्प डाउन मेरठ सेंट्रल और एमईएस कॉलोनी से मोदीनगर ऊपरगामी खंड, तथा ब्रह्मपुरी स्टेशन के अंतिम सिरे से बेगमपुल भूमिगत खंड (19.5 कि.मी.) के निर्माण के लिए निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

2.4. जंगपुरा स्थित स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3. तंत्र व्यापी पैकेज

3.1 आरआरटीएस और एमआरटीएस ट्रेन सेटों के प्रापण और रेल की आपूर्ति के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं और पहला प्रोटोटाइप अप्रैल, 2022 तक अपेक्षित है। हेड–हार्डन्ड रेलों की आपूर्ति के लिए भी निविदा प्रदान की गई है।

3.2 संपूर्ण दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ खंड के लिए ट्रैक्शन और विद्युत आपूर्ति हेतु निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3.3 प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर सहित ट्रैक टर्नआउटों, रेल ग्राईडिंग मशीन, एस्केलेटरों, एलीवेटरों, ईसीएस

एवं टीवीएस सिस्टमों, सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार प्रणालियों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

II. निर्माण–पूर्व कार्य

तीव्र और निर्बाध निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरटीसी कॉरिडोर पर निर्माण पूर्व गतिविधियों/सक्षमकारी कार्यों को अंजाम दे रहा है। इन गतिविधियों की स्थिति निम्नानुसार हैः

1. गाज़ियाबाद से दुहाई खंड के लिए सड़क चौड़ी करने का काम पूरा हो चुका है और शेष खंड के लिए ठेके प्रदान किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।
2. यूपीपीटीसीएल की 25 ईएचटी लाइनों में से 19 लाइनों को स्थानांतरित/पुनर्स्थापित किया गया है और पावर ग्रिड/डीटीएल/डब्ल्यूयूपीपीटीएल/बीएसएएस की 17 ईएचटी लाइनों में से 5 लाइनों को स्तानांतरित/पुनर्स्थापित किया गया है।
3. यूपीएसआरटीसी के भैसाली कार्यशाला, गुलधर स्थित यूपीएसआईडीसी भूमि पार्सल, सराय काले खां और आनंद विहार स्थित डीटीआईडीसी भूमि पार्सल और मेरठ में स्थित सैन्य भूमि और कुछ अन्य भूमि स्थलों को छोड़कर अधिकांश सरकारी भूमि के लिए कार्य की अनुमति प्राप्त हो गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि दरों और मूल्य के अनुमोदन के अनुसार दुहाई डिपो के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ख. दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी–सोतानाला कॉरिडोर

दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी आरआरटीएस गलियारे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एनसीआरटीसी बोर्ड द्वारा 06.12.2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके उपरांत इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को हरियाणा सरकार, दिल्ली और राजस्थान की राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त हुआ और मौजूदा रूप से इस पर भारत सरकार द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है। एसएनबी–सोतानाला (चरण 2) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

ग. दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर

हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है। हरियाणा सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी सम्प्रेषित कर दी है।

6. जमा राशि

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा, 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से कोई राशि जमा कराने का आमंत्रण नहीं दिया, अतः तुलनपत्र पर आज की तारीख तक जनता से मूल अथवा ब्याज पर कोई राशि बकाया नहीं है।

7. कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन

क. कर्मचारी कल्याण और विशेष पहल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सद्भभावनायुक्त औद्योगिक संबंध कायम रहे। एनसीआरटीसी प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी श्रम घंटे की हानि नहीं हो और कर्मचारी कार्य अपेक्षा के अनुरूप अपनी सर्वाधिक क्षमता से कार्य करें। प्रबंधन का यह सतत प्रयास था कि कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक कर्मचारी कल्याण नीतियां/गतिविधियां आरंभ की गईं/अंजाम दी गईं। तंदरुस्त और स्वस्थ जीवन शैली के प्रवर्तन के लिए और कर्मचारियों में साईकिल चलाने की आदत डालने के लिए 'अपनी साईकिल चलाएं' नीति लागू की गई जिसमें कर्मचारियों को परिभाषित सीमा तक साईकिल के क्रय के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अग्रणी चिकित्सा संस्थानों द्वारा आवधिक रक्त जांचें की गईं, बीएमआई दर्ज की गई और स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, स्वास्थ्य वार्ताएं इत्यादि आयोजित की गईं ताकि जागरुकता बढ़े और किसी कर्मचारी के किसी चिकित्सीय समस्या से युक्त होने पर उससे अग्रसक्रियता से मुक्त हुआ जा सके। कर्मचारियों को हीपाटाइटिस बी के लिए टीके की तीन खुराकें दी गईं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक अस्पतालों/लेबोरेट्रियों/संस्थानों को पैनलबद्ध किया गया एनसीआरटीसी कर्मचारियों और उनके आश्रितों का उपचार सुगम हो सके।

ख. श्रमशक्ति

निर्माण गतिविधि को बढ़ाने के साथ कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 162 कर्मचारियों ने नियमित आधार पर एनसीआरटीसी में सेवा आरंभ की। कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या में से 9.45% कर्मचारी अनुसूचित जाति, 3.6% अनुसूचित जनजाति और 21.62% कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। इसके अलावा एनसीआरटीसी में 7 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार एनसीआरटीसी में कुल कर्मचारियों की संख्या 246 है जिसमें नियमित कर्मचारी सूची में 222 कर्मचारी हैं और प्रतिनियुक्ति पर 24 कर्मचारी हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनसीआरटीसी की नियमित कर्मचारी सूची में स्थित 7 महिला कर्मचारियों को लिया गया और दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 8 है।

ग. प्रशिक्षण और विकास

एनसीआरटीसी अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर काफी बल देता है। वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व कौशल और सौहार्द्र निर्माण पर बल देते हुए समीक्षाधीन वर्ष की दौरान 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। निजी स्तर पर सहयोगियों के साथ अच्छे व्यवहार और संबंध के निर्माण के लिए समान दृष्टिकोण अपनाते हुए 57 उप विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस संगठन की संस्कृति और कार्य पद्धतियों से नए कर्मचारियों को अवगत कराने और उन्मुख करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनसीआरटीसी में सेवा आरंभ करने वाले 178 नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 91 कर्मचारियों ने 45 घरेलू प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों/तकनीकी अध्ययन यात्राओं में भाग लिया और 32 कर्मचारियों ने 17 विदेशी प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों/तकनीकी अध्ययन यात्राओं में भाग लिया।

घ. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(i) के अनुरूप एनसीआरटीसी में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी के पीठासीन अधिकारी निदेशक (वित्त) हैं और गैर–सरकारी संगठन से 1 महिला और एनसीआरटीसी से 2 कर्मचारी (1 महिला और 1 पुरुष) सदस्य के तौर पर हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति के समक्ष यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं आया।

8. स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण

8.1 एनसीआरटीसी पूरे संगठन में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण कार्य पद्धतियों में सुधार लाने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। स्वयं अपने स्टाफ की, ठेकेदारों के श्रमिकों की और उन समुदायों की जिनमें हम कार्य कर रहे हैं, और अन्य रूचि रखने वाले पक्षकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।

8.2 भारतीय प्रणालियों के अनुसार रेलवे परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अपेक्षित नहीं है। हालांकि, एनसीआरटीसी ने परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को शामिल करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तैयार किया है। ईएमपी के अतिरिक्त ठेकेदारों से भी अपेक्षित है कि वे सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। परियोजना के लिए पहचाने गए सभी पर्यावरणीय जोखिमों के लिए शमन उपायों का निवारण अभिकल्पना उपायों और सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण दिशानिर्देशों और ईएमपी में समुचित कार्रवाईयों के समावेशन से किया जा सकता है।

8.3 हम लगातार विधायी अपेक्षाओं से अधिक सर्वोत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पद्धतियों को अपनाने और उनका प्रवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2019–2020 में निम्नलिखित मुख्य पहलों को क्रियान्वित किया हैः

क. आईएसओ प्रमाणीकरण किसी संगठन के लिए मुख्य अपेक्षा है जिसमें संगठन द्वारा ठोस व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन तंत्र अपनाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। हमें आईएसओः 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाणीकृत किया गया है और हमारे प्राथमिकता खंड अर्थात दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ गलियारे के साहिबाबाद से दुहाई खंड के लिए हमें आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रकार के प्रमाणीकरण को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

ख. एनसीआरटीसी ने 04 मार्च 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 04 से 10 मार्च 2020 सुरक्षा के बीच

सुरक्षा जागरुकता सप्ताह मनाया जिसमें अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं जैसे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा शपथ लेना, सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला, सुरक्षा वीडियो/स्थिर फोटोग्राफी, सुरक्षा जागरुकता पर लघु वीडियो का प्रदर्शन शामिल है।

ग. इसके अतिरिक्त हमने नोवल कोरोनावायरस (कोविड–19) प्रकोप पर विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें स्टाफ और श्रमिकों के भाग लेने के दौरान 'सामाजिक दूरी' सुनिश्चित की गई।

घ. उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे आगे ले जाते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रलेखित सूचना को प्राप्त करने और उसका पता लगाने के लिए स्वयं अपना वेब प्लेटफार्म "स्पीड पोर्टल" तैयार किया है जो दूरस्थ स्थानों में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्थल (साइट) का निकट से अनुवीक्षण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए।

8.4 ये केवल मुख्य कदम हैं और कंपनी ने लगातार हमारे व्यवसायपरक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में सुधार हेतु कई सर्वोत्तम क्रिया–कलापों को अपनाने का प्रयास किया है। कुछ सर्वोत्तम क्रिया–कलाप/कदम जो कार्यस्थल पर कार्यान्वित किये जा रहे हैं, उन पर निम्न प्रकार से प्रकाश डाला गया है:

क. प्रभावी और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण विश्लेषण क्रियात्मक गतिविधियों को सुरक्षित रूप से करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, निरंतर व्यावसायिक विकास कार्य/कौशल विकास कार्यों के साथ–साथ आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के आकलन को मद्देनजर रखते हुए, हमने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसके माध्यम से कार्य स्थल पर किसी भी स्तर के प्रत्येक और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के बारे में अपनी निरन्तर जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक आधार पर उचित प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

ख. कार्य के निष्पादन हेतु हाइड्रोलिक क्रेन वाले ट्रक, क्रॉलर क्रेन, गैन्ट्री क्रेन, पाइल रिग मशीन आदि जैसे उपकरणों और निर्माण मशीनरी की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है और समय के साथ ऐसी मशीन की संरचना कार्यनिष्पादन के दौरान खराब हो सकती है। अतः, हमने ऐसी मशीनों के लिए उनके सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम अनुमेय आयु मानदंड निर्दिष्ट किए हैं।

ग. निर्माण कार्य और तोड़–फोड़ के कूड़े–कचरे और अपशिष्ट भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से न केवल एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी चिंता के विषय एवं कारण हो जाते हैं। इसे सरल और आसान बनाने के लिए, हमने अपने स्वयं के निर्माण और तोड़–फोड (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र का निर्माण शुरू कर दिया है और इस अपशिष्ट का पुनःचक्रीकरण करके अधिकतम सीमा तक पुनः उपयोग आरंभ किया है।

9. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत कर्मचारियों के ब्यौरे

भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना के मद्देनजर कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार यह सूचना प्रदान करना कंपनी पर लागू नहीं होता।

10. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी), के तहत बोर्ड द्वारा स्वयं के और इसकी समितियों और इसके निदेशकों द्व ारा व्यक्तिगत तौर पर घोषित औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी विवरण।

एनसीआरटीसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी गजट अधिसूचना के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के उपबंध और संगत नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।

11. लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मैसर्स ए सी गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेखा परीक्षकों ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी है।

12. वित्तीय विवरणों एवं आँकड़ों पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणी बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी 'शून्य' टिप्पणियाँ दी हैं।

13. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स मनोज पुर्बे एंड एसोसिएटस्, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया। 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न है (**अनुलग्नक–1** देखें)।

कंपनी सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सदस्यों के विचारार्थ एवं सूचनार्थ मौजूदा वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट और इसकी विषय–वस्तु स्वतः व्याख्यात्मक है और इसमें कोई शर्त/अवलोकन शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसमें प्रबंधन की कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

14. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और जबावदेही (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान यह सीएसआर में योगदान के लिए निर्दिष्ट किसी भी मानदंडों को पूरा नहीं नहीं करता। हालांकि, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में एक सीएसआर समिति है और वर्ष के दौरान सीएसआर नीति को अंतिम रूप दिया गया था और एनसीआरटीसी बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। दिनांक 31.03.2019 को सीएसआर की अनपेक्षित राशि का संचयी शेष 3,14,81,67/– रुपये का था। दिनांक 13.03.2020 को आयोजित 22वीं बैठक में बोर्ड ने 3,14,81,67/– रुपये की राशि को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 तक आगे ले जाने के प्रस्ताव पर यह देखते हुए विचार किया, कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निर्माण कार्य के केवल प्राथमिकता वाले हिस्से को शुरू किया था और अभी तक परिचालन क्रियाओं को शुरू नहीं किया।

इसके बाद, पूरे भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) त्रासदी के प्रसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी के रूप में कोविड–19 की घोषणा को देखते हुए, कंपनी की सीएसआर समिति ने सीएसआर की कार्य–गतिविधियों के व्यय के लिए रखी गयी रकम में से 3,00,00,00/– रु. प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर फंड) में अंशदान करने का निर्णय लिया। सीएसआर की शेष अव्ययित 14,81,67/– रु. की रकम को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 में सीएसआर गतिविधियों खर्च के लिए आगे ले जाया गया है। रिपोर्ट, कंपनी (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के तहत निर्धारित प्रारूप में **अनुलग्नक–2** के रूप में संलग्न है।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जानकारी आगे दी गई है: –

क) ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:

i) किसी भी आरआरटीएस प्रणाली में संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) खर्च का लगभग 50 प्रतिशत बिजली के बिलों के भुगतान पर होता है। आरआरटीएस को स्तायित्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऊर्जाक्षम, कम रखरखाव की आवश्यकता वाली विद्युत प्रणालियों को अपनाकर बिजली की खपत को कम किया जाए। एनसीआरटीसी ने रोलिंग स्टॉक के लिए ठेका दे दिया है और विभिन्न अन्य विद्युत ठेके एवं अनुबंध निविदा चरण में है। बोली दस्तावेज तैयार करते समय, विभिन्न प्रणालियों

के लिए ऊर्जा के अधिकतम इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा–कार्यक्षम प्रौद्योगिकी का चयन करके ऊर्जा संरक्षण उपायों पर विचार किया गया है। इस दिशा में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- एक एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम (रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग) पर रोलिंग स्टॉक के लिए विचार किया गया है जिससे लगभग 30 फीसदी से 35 फीसदी तक संकर्षण (ट्रैक्शन) ऊर्जा बचने की संभावना है जो अन्यथा गर्म ऊर्जा के रूप में नष्ट हो सकती है।
- सुविचारित सभी प्रोटेक्शन रिले संख्यात्मक प्रकार के हैं, जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, फास्ट दोष कम समय (लगभग 100 एमएस) में दूर होता है जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में दोष के कारण ऊर्जा की हानि कम होती है।
- सभी एलिवेटेड स्टेशनों, रिसीविंग सब–स्टेशन भवनों, प्रशासनिक भवनों, डिपो आदि में वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम (वीआरवी) एयर कंडीशनर लगाने पर विचार किया गया है।
- हाई कोअफिशेन्ट पर्फारमेन्स (सीओपी) वाटर–कूल्ड चिलर का उपयोग किया जाएगा। ऊर्जा को बचाने के लिए चिलर प्लांट मैनेजर (सीपीएम) का उपयोग चिलर्स, कूलिंग टॉवर और उसके संबद्ध पंपिंग सिस्टम के कुशल अनुक्रमण के लिए किया जाएगा। ऊर्जा बचाने के लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइव (वीएसडी) को एचवीएसी प्रणाली के डिजाइन में प्रतिस्थापित करने पर विचार किया गया है। यूरोवेंट प्रमाणित एयर हैंडलिंग यूनिटों का उपयोग किया जाएगा। एचवीएसी प्रणाली में ऊर्जा कार्यक्षम मोटर्स का उपयोग किया जाएगा। ऊर्जा कार्यक्षम क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स का उपयोग किया जाएगा जो कि कूलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (सीटीआई) प्रमाणित हैं। ऊर्जा को बचाने के लिए भूमिगत स्टेशन पर फ्रेश एयर इंडक्शन को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भूमिगत स्टेशनों में यात्रियों को क्रमशः थर्मल आराम प्रदान करने और साथ ही ऊर्जा को बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में तापमान का सेटपॉइंट को 27 डिग्री सेल्सियस और 55 प्रतिशत आरएच के रूप में चयनित किया गया है।
- पानी के उपयोग को कम करने और ऊर्जा बचाने के लिए वाटर–कूल्ड और एयर–कूल्ड चिलर्स के संयुक्त परिचालन पर विचार किया गया है।
- लिफ्टों और एस्केलेटर में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) ड्राइव का उपयोग किया जाएगा। जब यात्री नहीं होंगे तो एस्केलेटर को सुस्त या धीमी गति मोड की सुविधा प्रदान की गयी है। लगभग 10–15 फीसदी तक ऊर्जा बचाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स को एक एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम (रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग) के साथ चलाने पर विचार किया जा रहा है।
- स्टेशनों, यार्ड, आरएसएस/ एएमएस/ टीएसएस बिल्डिंग, डिपो और रोलिंग स्टॉक में एलईडी लाइटिंग की फिटिंग पर विचार किया गया है।
- ई एडं एम प्रणाली में पावर फैक्टर करेक्शन और हार्मोनिक शमन के लिए हाइब्रिड कैपेसिटर पैनल का उपयोग किया जाएगा।
- ऊर्जा कार्यक्षम डिजाइन और सिस्टम के परिचालन प्रबंधन के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) और आईएसओ 50001 *(एक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के विकास के माध्यम से ऊर्जा उपयोग में सुधार के लिए एक मानक व्यावहारिक तरीका प्रदान करता है)* का अनुपालन किया जाएगा।

ii) **एनसीआरटीसी ने ऊर्जा लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित वास्तु समाधानों पर विचार किया है: –**

- इलेक्ट्रिकल और एस एंड टी उपकरण को चलाने पर ऊर्जा लागत को कम करने के लिए सिंगल सेन्ट्रल अनपेड कॉनकोर्स।
- कन्सोलिडेटिड लैंड पॉकेट (सड़क के किसी एक साईड पर) लिफ्टों, एस्केलेटर की संख्या को कम करने के लिए, जिससे ऊर्जा लागत पर बचत होती है।
- विभिन्न साधनों के बीच वाहनों के आने–जाने की अतिरिक्त ऊर्जा को कम करने के लिए परिवहन के अन्य साधनों के साथ आरआरटीएस स्टेशन का निर्बाध और कॉम्पैक्ट एकीकरण।
- अधिकांश अनुकूलित स्टेशन बॉक्स साइज, परिणामस्वरूप आवर्ती आधार पर ऊर्जा की चालू लागत कम होती है।
- ऊर्जा खपत और लागत कम करने के लिए स्टेशन और वायडक्ट का न्यूनतम फुटप्रिंट ग्राउंड पर छोटे क्षेत्र को बनाए रखना।
- नेचुरल डेलाइट के लिए पॉली कार्बोनेट शीटिंग के साथ स्टेशन की छत।
- क्रॉस वेंटिलेशन के लिए लूवर्स के साथ एक्सटर्नल अग्रभाग ।
- कार्यक्षम पानी फिटिंग (कम प्रवाह नल, सेंसर वाले)।
- वर्षा जल संचयन (स्टेशन की छत, वायाडक्ट और सहायक इमारतें)।
- उपकरण/फिक्स्चर वाले बीएमएस–प्रोग्रामेबल परिचालन।
- स्टेशनों पर उपयोग करने के लिए रिसाइकिल्ड और स्थानीय सामग्रियों पर विचार किया गया है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

सौर ऊर्जा प्रणाली

आरआरटीएस/एमआरटीएस स्टेशनों, डिपो और अन्य सहायक भवन परिसर की छत के आकार को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरटीसी लगभग 10 मेगावाट वाली सौर ऊर्जा की छत स्थापित करने की योजना बना रहा है। उपरोक्त क्षमता स्थापित करने से, एनसीआरटीसी लगभग 9 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा सालाना उत्पन्न करेगा। इससे CO_2 उत्सर्जन में सालाना लगभग 9.2 टन की कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश:

वर्तमान में इसकी अवधारणा और डिजाइन का कार्य प्रगति पर हैं।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

क. संक्षेप में, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास

i. तकनीकी विशिष्टताएं

तकनीकी विशिष्टताओं में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी प्रकार की प्रमुख श्रेणियों के उपकरण, साज–सामान और कलपुर्जे भारत में ही उत्पादित और विनिर्मित हों। अनुबंधों के तहत प्रदान किए जाने वाले किसी बड़े या विशेष रूप में मशीनों, वाहनों आदि के विभिन्न प्रकार के उपकरणों, कलपुर्जों और घटकों को, जिन्हें भारत में ही विनिर्मित किया जाना है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

मैसर्स बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को रोलिंग स्टॉक अनुबंध प्रदान किया गया है। रोलिंग स्टॉक का बड़े पैमाने पर अर्थात, 100 प्रतिशत उत्पादन बड़ी मशीनों का उपयोग करके सावली, वडोदरा में स्थित उनके कारखाने में ही किया जाएगा। ईएचवी, एचवी, एलवी केबल्स और तार, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, पावर ट्रांसफॉर्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर, कंट्रोल एवं रिले पैनल, सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम और स्काडा सिस्टम (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण), पावर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस्ड अर्थिंग सिस्टम, नाइट्रेट इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर अलार्म और डिटेक्शन और अग्निशमन प्रणाली, एलईडी लाइट फिक्स्चर्स, वीआरवी सिस्टम, बैटरीज, बैटरी चार्जर्स, एलटी पैनल, लिफ्ट्स, पम्पस, अर्थिंग मैटेरियल, बीएमएस और स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण), एयर हैंडलिंग यूनिट, वाटर पाइपिंग सिस्टम, ग्रिलर्स/ डिफ्यूज़र/नोजल, एसपीवी पैनल सहित सौर प्रणाली आदि कुछ ऐसे कलपुर्जे और घटक हैं जिन्हें भारत के मूल स्रोतों से ही हासिल होने की उम्मीद की जा रही है।

ii. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभ, जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद का विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।

संकल्पना और डिजाइन अंतिम चरणों में हैं।

iii. आयातित प्रौद्योगिकों के मामलों में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए आयात पर आधारित) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है:

देश में पहली बार 180 कि.मी. प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड वाला बैलेस्टलेस (गिट्टी रहित) ट्रैक बनाया जा रहा है। न तो भारतीय रेलवे और न ही मेट्रो के पास उच्च गति बैलेस्टलेस (गिट्टी रहित) ट्रैक बिछाने का पर्याप्त, आवश्यक एवं सफल अनुभव है। एनसीआरटीसी ने आरटीटीएस के लिए "**ऑस्ट्रियन स्लैब ट्रैक सिस्टम**" का चयन किया है, जो उच्च प्रीकास्ट (पूर्वनिर्मित) कलपुर्जों और घटकों सहित उच्च गति पर अपनी प्रमाणिकता और सिद्धता पर आधारित है।

"ऑस्ट्रियन स्लैब ट्रैक सिस्टम" आस्ट्रियाई रेलवे और सिस्टम प्रोवाइडर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पेटेंट डिज़ाइन है। हालांकि, एनसीआरटीसी ने प्रौद्योगिकी अंतरण के तौर पर किसी भी आरआरटीएस परियोजना पर इस्तेमाल करने के अधिकार सहित इस प्रणाली का बौद्धिक संपदा अधिकार खरीद लिया है। इसके अलावा, सिस्टम प्रदाता विशेष तकनीकी उपकरण, विधि विवरण और गुणवत्ता आश्वासन सहित पूरी तकनीकी और प्रौद्योगिकी जानकारी प्रदान करेगा जिसमें बैलेस्टलेस (गिट्टी रहित) ट्रैक का विनिर्माण और ट्रैक बिछाने के साथ–साथ पर्यवेक्षण भी प्रदान

करेगा। सिस्टम प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए सभी तकनीकी विवरणों के अनुसार बैलास्टलेस (गिट्टी रहित) ट्रैकों को बिछाया जाएगा। भारत में उच्च गति बैलास्टलेस (गिट्टी रहित) ट्रैक की तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

(क) आयातित प्रौद्योगिकी	**:**	**1**
(ख) आयात करने का वर्ष	**:**	**2020**
(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अपना लिया गया है?	**:**	**प्रक्रियाधीन**
(घ) यदि प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अपनाया नही गया है तो ऐसे क्षेत्र जहां स्थापन नही किया गया है और उसके कारण और भावी कार्रवाई योजनाएँ।	**:**	**बैलेस्टलेस (गिट्टी रहित) ट्रैक बिछाने का काम शुरू होना बाकी है।**

ग) **अनुसंधान और विकास पर व्यय (राशि भारतीय राष्ट्रीय रु. में)** – कम्पनी मौजूदा रूप से परियोजना चरण में है।

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1.	पूंजी	शून्य	शून्य
2.	आवर्ती	शून्य	शून्य
3.	कुल	शून्य	शून्य
4.	कुल अनुसंधान और विकास व्यय कुल टर्नओवर की प्रतिशतता के तौर पर	शून्य	शून्य

16. विदेशी विनिमय आय और व्यय

क्र.सं.	विदेशी विनिमय आय / व्यय	राशि लाख में	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
1	**निम्नलिखित पर आय:**		
1.1	विनिमय उतार–चढ़ाव पर लाभ	9.3	शून्य
2	**निम्नलिखित पर व्यय:**		
2.1	परामर्शन शुल्क	34,39.39	98.88
2.2	प्रशिक्षण व्यय	7.47	1.25
2.3	विदेश यात्रा पर भुगतान	72.52	4.45
3	सीआईएफ आधार (प्रोद् भवन आधार) पर आधारित आयातों का मूल्य	शून्य	शून्य
4	प्रत्यावर्तित विदेश विनिमय, यदि कोई हो	शून्य	शून्य
5	अन्य (सॉफ्टवेयर)	22.69	शून्य

17. जोखिम प्रबंधन

कई राज्य सरकारों से जुड़ी इस जटिल परियोजना का कार्यान्वयन समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए, एनसीआरटीसी ने परियोजना के डिजाइन के प्रारम्भिक चरण से ही एक सुव्यवस्थित "जोखिम प्रबंधन" के दृष्टिकोण को अपना लिया है। इस तरह के दृष्टिकोणों को अगर समय रहते ही अपना लिया जाता है तो परियोजना कार्यान्वयन में लगने वाला समय और लागत जैसे संभावित जोखिम कम हो जाते है। एनसीआरटीसी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार दी गयी है:–

i) **भूमि के न्यूनतम अधिग्रहण के साथ संरेखण का डिज़ाइन**– अधिकांश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि के अधिग्रहण में देरी होना ही देरी का एक प्रमुख कारण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए, आरआरटीएस गलियारों के संरेखण को अंतिम रूप दिया गया ताकि अधिग्रहण करने में निजी भूमि को शामिल किया जा सके।

ii) **आरआरटीएस संरेखण का उल्लंघन करने वाली विभिन्न उपयोगिताओं के पुनः स्थापन के लिए अग्रिम कार्रवाई** – भारत सरकार द्वारा दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी से बहुत पहले ही, आरआरटीएस संरेखण का उल्लंघन करने में एनसीआरटीसी ने पुनः स्थान के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न उपयोगिता स्वामित्व एजेंसियों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। उपरोक्त अग्रिम कार्रवाई के कारण, एनसीआरटीसी वास्तविक निर्माण कार्य करने से पहले अधिकांश उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने में सक्षम हो गया है और ठेकेदारों को निःशुल्क कार्य स्थल प्रदान किया जा रहा है/प्रदान किया गया है।

iii) **विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई**– विभिन्न प्राधिकरणों/विभागों को परियोजना के बारे में अग्रिम रूप से संवेदनशील बना दिया गया था और वास्तविक निर्माण कार्य से पहले उनकी मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र अच्छी तरह से प्राप्त किए गए थे। इसमें भारतीय रेलवे, आरडीएसओ, यमुना एक्शन समिति, डीयूएसी, माननीय एनजीटी से पेड़ काटने की अनुमति और अनुमोदन शामिल थे जो अन्यथा लम्बे समय तक चलने वाले विषय होते हैं।

iv) **सतत सार्वजनिक संवाद**– परियोजना के शुरुआती चरणों में, एनसीआरटीसी परियोजना के लाभ के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए परियोजना क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और जहां भी संभव हो, परियोजना में उनके सुझावों को शामिल किया जा रहा है। इस तरह के दृष्टिकोण के साथ इस परियोजना को लगातार सार्वजनिक समर्थन मिल रहा है जो इस विशाल और बृहद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए काफी आवश्यक है और जनता के विरोध के किसी भी जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया गया है।

18. निदेशकों की जबाबदेही और उत्तरदायित्व

आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार यह पुष्टि करता कि है:

(क) वार्षिक खातों को तैयार करने में, भिन्न सामग्री के प्रयोग से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए कंपनी की सही और निष्पक्ष स्थिति और लाभ और हानि का पता चल सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की सम्पतियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल और सावधान बरती थी;

(घ) निदेशकों ने गोइंग कंसर्न के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार करना सुनिश्चित किया था; तथा

(ड़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थी।

19. निदेशक बोर्ड और उसकी बैठकें

19.1 यथा दिनांक 31.03.2020 को कम्पनी का निदेशक बोर्ड निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष	11.03.2015
2.	श्री कामरान रिज़वी	भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नामिती	28.01.2020
3.	श्री विजय कुमार देव	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का नामिती	29.05.2019
4.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	20.09.2019
5.	श्री पियूष अग्रवाल	रेल मंत्रालय का नामिती	06.06.2019
6.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	एनसीआर योजना बोर्ड का नामिती	07.05.2019
7.	श्री सुबोध अग्रवाल	राजस्थान सरकार का नामिती	05.04.2019
8.	श्री अपूर्व कुमार सिंह	हरियाणा सरकार का नामिती	09.08.2018
9.	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक	04.08.2016
10.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक/परियोजनाएं	15.07.2019
11.	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/ईआरएस	15.07.2019
12.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/सिस्टम	15.07.2019
13.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ	20.09.2019

19.2 **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान / पिछली वार्षिक आम बैठक से आज की तारीख तक निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के तौर पर नियुक्त किया गया:**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री शिव दास मीणा	भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नामिती	06.12.2019
2.	श्री कामरान रिज़वी	भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नामिती	28.01.2020
3.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	एनसीआर योजना बोर्ड का नामिती	07.05.2019
4.	श्री पियूष अग्रवाल	रेल मंत्रालय का नामिती	06.06.2019
5.	श्री हरी ओम गुप्ता	रेल मंत्रालय का नामिती	24.07.2020
6.	श्री विजय कुमार देव	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का नामिती	29.05.2019
7.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	15.04.2019
8.	श्री देवेश चतुर्वेदी	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	27.06.2019
9.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	20.09.2019
10.	श्री सुबोध अग्रवाल	राजस्थान सरकार का नामिती	05.04.2019
11.	श्री नरेश पाल गंगवार	राजस्थान सरकार का नामिती	16.07.2020
12.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक/परियोजनाएं	15.07.2019
13.	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/ईआरएस	15.07.2019
14.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/सिस्टम	15.07.2019
15.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ	20.09.2019
16.	श्री विजय कुमार	कम्पनी सेक्रेटरी	30.12.2019

19.3 **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान / पिछली वार्षिक आम बैठक से आज की तारीख तक निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/ केएमपी नही रहे:**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
1.	श्री संजय मूर्ति	भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नामिती	06.12.2018	06.12.2019
2.	श्री शिव दास मीणा	भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नामिती	06.12.2019	28.01.2020
3.	श्री पी गुरु प्रसाद	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	03.11.2017	15.04.2019
4.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	15.04.2019	27.06.2019
5.	श्री देवेश चतुर्वेदी	उत्तर प्रदेश सरकार का नामिती	27.06.2019	20.09.2019
6.	श्री अंशु प्रकाश	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का नामिती	29.01.2018	15.03.2019
7.	श्री राजेश अग्रवाल	रेल मंत्रालय का नामिती	10.05.2018	06.06.2019
8.	श्री पियूष अग्रवाल	रेल मंत्रालय का नामिती	06.06.2019	31.03.2020
9.	श्री राजीव स्वरूप	राजस्थान सरकार का नामिती	27.06.2017	05.04.2019
10.	श्री सुबोध अग्रवाल	राजस्थान सरकार का नामिती	05.04.2019	15.07.2020
11.	श्री योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना	सीएफओ	16.01.2018	19.09.2019
12.	श्री साकेत कुमार सिंह	कम्पनी सेक्रेटरी	27.06.2017	29.12.2019

19.4 **स्वतंत्र निदेशक**

आपका बोर्ड आगे इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के प्रावधानों (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के अनुसार, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

19.5 **बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपके बोर्ड की पाँच बैठकें आयोजित हो चुकी हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

18वीं	05.04.2019
19वीं	15.07.2019
20वीं	20.09.2019
21वीं	30.12.2019
22वीं	13.03.2020

20. बोर्ड की समितियाँ

कंपनी के पास कई समितियां हैं जिनकी स्थापना सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रैक्टिस के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में की गई है।

कंपनी में निम्नलिखित तीन (3) बोर्ड स्तर की समितियाँ हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निवेश समिति
3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

उपरोक्त समितियों के गठन, बैठकों और प्रतिभागियों का विवरण इस रिपोर्ट में दिए गए 'कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट' में दिया गया है।

21. संबंधित पक्षकार समझौते

संबंधित पक्षों के साथ कोई ऐसे अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे में आते हों।

22. ऋणों, गारंटियों या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

23. अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार, राष्ट्रीय रजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से असुरक्षित ब्याज रहित, गौण ऋण के रूप में 11,88 करोड़ रुपये दिनांक 31.03.2020 तक प्राप्त हुए हैं।

24. सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं उस वित्तीय वर्ष के अंत से वित्तीय विवरणों और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच नहीं हुईं।

25. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से निपटने के लिए, एनसीआरटीसी के पास एक निर्धारित व्यवस्था मौजूद है। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), उप विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को क्रमशः केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत 44 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 42 आवेदनों का जवाब दिया गया और दी गयी समयसीमा के भीतर मामलों का निपटारा किया गया और 02 आवेदन अन्य सार्वजनिक अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित कर दिए गए। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के लिए 03 अपीलें की गई थीं, जिनमें से सभी को दी गयी समय सीमा के भीतर निपटा दिया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष दूसरी अपील के रूप में कुछ भी अधिमानित नहीं किया गया है।

26. कंपनी निम्नलिखित की पुष्टि करती है:–

क. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अनुसार नियुक्ति के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

ख. कंपनी ने अंतर वोटिंग अधिकारों, स्वेट इक्विटी शेयरों और ईएसओपी के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

ग. किसी भी सांविधिक और सचिवीय लेखा परीक्षक ने वर्ष 2019–20 के दौरान इस्तीफा नहीं दिया था।

घ. लाभ के स्थान पर निदेशक का कोई रिश्तेदार नियुक्त नहीं किया गया था।

ड. कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय पाँच के तहत कोई जमा शामिल नहीं है।

च. ऐसी कोई जमा नहीं है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय पांच के अनुपालन में नहीं है।

छ. कार्य निष्पादन की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ज. कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए थे और लेखापरीक्षा के साथ वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा थे।

झ. कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक था।

ट. समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण: – चूंकि कंपनी के पास 31.03.2020 तक कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ठ. क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठक' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित आई सी एस आई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों अर्थात एस एस–1 और एस एस–2 का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया जा रहा है।

त. केंद्र सरकार के प्रतिवेदन के अलावा अन्य धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के संबंध में स्टैंडअलोन की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

27. नियामकों द्वारा पारित और महत्त्वपूर्ण आदेश

प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की परिचालन स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है। इसके अलावा, निम्नलिखित आदेश यहां उल्लेखनीय है:

i. परियोजना के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता के बारे में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने अपनी रिट याचिका(ओं) सिविल नं. 13029/1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 5 अगस्त 2019 को निर्देश जारी किया है ... "अपने स्वयं के कोष से योगदान करने के लिए, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के रूप में इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।"

ii. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने 04.11.2019 को हुई सुनवाई में दिल्ली–एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के परिणामस्वरूप, संपूर्ण आरआरटीएस परियोजना का काम गतिरोध में आ गया था। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया था। तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.12.2019 को एक आदेश पारित किया था और रात में भी इस परियोजना से संबंधित निर्माण गतिविधि को छूट दी थी"

28. कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट

आपकी कंपनी सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट रिपोर्ट पर एक "रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, **अनुलग्नक–3** के रूप में संलग्न है।

29. फार्म नं. एमजीटी 9 वार्षिक रिटर्न के उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में समीक्षाधीन वर्ष के लिए फॉर्म सं. एमजीटी–9 में कंपनी के वार्षिक रिटर्न के निष्कर्ष एवं उद्धरण को अनुबंध–4 में रखा गया है। वार्षिक रिटर्न को सदस्यों द्वारा https://www.ncrtc.in/reports/ पर देखा जा सकता है।

30. राजभाषा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया और कम्पनी के कारोबार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

क. अधिकांश तौर पर कंपनी में कंप्यूटर और लैपटॉप प्रतिस्थापित किये गये हैं, जो हिंदी टाइपिंग के काम के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

ख. कंपनी में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और कर्मियों को उनके दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई।

ग. राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने 22/01/2020 को कॉर्पोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरे के दौरान, समिति ने भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के उपयोग के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। आधिकारिक भाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए समिति के उपाध्यक्ष द्वारा प्रबंध निदेशक को एक प्रशंसा पत्र दिया गया था।

घ. वर्ष के दौरान कंपनी में "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन दिनांक 12/09/2019 से दिनांक 26/09/2019 तक किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि हिंदी कविता पाठ, हिंदी ज्ञान और हिंदी नोटिंग/आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 26/09/2019 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

ड. वर्ष 2019–2020 के दौरान हिंदी पुस्तकें अच्छी संख्या में खरीदी गईं और अंग्रेजी से हिंदी में आधिकारिक भाषा अधिनियम 3(3) के अनुपालन के संबंध में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य किए गए।

च. कंपनी में आधिकारिक भाषा हिंदी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और हिंदी के बढ़ते उपयोग और सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का उपयोग करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है।

31. सतर्कता

सतर्कता, एनसीआरटीसी में प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है और यह प्रशासन के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है। सुधारात्मक सतर्कता के अलावा सुरक्षात्मक, पूर्वानुमानी और सहभागितापरक सतर्कता पर बल दिया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की तैनाती के साथ फरवरी 2018 से कंपनी में सतर्कता यूनिट की स्थापना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्देशों के अनुसार निवारक सतर्कता उपायों सहित विभिन्न सतर्कता संबंधी गतिविधियां की गईं। सतर्कता शिकायतों की जांच और निपटान किया गया। विभिन्न पुरानी प्रणालियों का उन्नयन किया गया और नई प्रणालियों को अनधिकृत विकल्पों को कम से कम करने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए प्रणालियों में पारदर्शिता लाने हेतु तैयार किया गया। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरटीसी एनआईसी के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग करता है।

"इंटीग्रिटी – ए वे ऑफ लाइफ (ईमानदारी–एक जीवन शैली)" विषय के साथ 28 अक्तूबर से 2 नवंबर 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 मनाया गया। निवारक सतर्कता उपायों, भ्रष्टाचार–विरोधी मुद्दों, शिकायतों का निवारण और सतर्कता के मुद्दों के बारे में व्यापक प्रसार और जागरूकता जैसी गतिविधियाँ को कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए निष्पादित किया गया। ऑनलाइन द्वारा 31 अक्तूबर, 2019 को सतर्कता जानकारी के सामान्य जागरूकता के लिए एक प्रश्न–उत्तर प्रतियोगिता का भी आयोजित किया गया जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

32. शेयरधारकों को सूचना

कम्पनी का वित्तीय विवरण और उससे सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी के हितधारकों के लिए उपलब्ध है। कोई भी हितधारक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी प्रकार की सूचना की मांग सकता है और किसी भी समय या कार्य दिवस के व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण भी कर सकता है।

33. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (viii) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 134 (3)(q) के तहत सूचना

आपकी कम्पनी के पास इसके स्वरूप और कार्य निष्पादन की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक लेखापरीक्षाप्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षक एक अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किए जाते हैं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सारांश को अनुपालनों के साथ लेखापरीक्षा समिति के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह आंतरिक लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।

34. स्वच्छ भारत अभियान

पर्यावरण और स्वच्छ भारत के लिए प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, आपकी कम्पनी ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन(एसबीएम) को साकार करने की दिशा में किए गए प्रयासों के समर्थन करने और उसे बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित कर सकें।

आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट ऑफिस, नई दिल्ली में "अपशिष्ट से खाद" बनाने के लिए उपकरण बनाए और स्थापित किए हैं। इसके अलावा एसबीएम की पहलों के दौरान, एनसीआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने "श्रमदान" के माध्यम से विभिन्न कार्यालय परिसरों में और उसके आसपास आयोजित विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम, स्थल और वृक्षारोपण को लेकर अपने आसपास और सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ और हरा–भरा रखने के संदेश को फैलाने के लिए भाग लिया था। कार्यालय में एक बार प्रयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक का प्रयोग करने पर रोक लगाने ले लिए अन्य जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए।

35. सूचना प्रौद्योगिकी

परियोजना के कुशल निष्पादन के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम मूल्यांकन"– स्पीड एक संस्थानिक परियोजना प्रबंधन और निगरानी उपकरण है, जो लागत निगरानी, सुरक्षा रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट देखने सहित आरआरटीएस परियोजना के निर्माण पूर्व और निर्माण चरणों की गतिविधियों को देखने/अद्यतन करने/उन पर तैयार रिपोर्ट करने के लिए है। कर्मचारी स्वयं–सेवा (ईएसएस) पोर्टल भी संस्थानिक रूप से विकसित किया गया है, जहां कोई कर्मचारी आयकर अनुमानों, कर घोषणाओं, बिलों/दावों के साथ वेतन पर्ची देख सकता है, छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है, स्टेशनरी, आई–कार्ड और विजिटिंग कार्ड के लिए अनुरोध कर सकता है। "कॉमन डेटा एनवायरनमेंट"– सभी निर्माण और पूर्व–निर्माण आरेखों और तकनीकी दस्तावेजों के सामान्य भंडार को बनाए रखने के लिए सीडीई को लागू किया गया है। जियो फेंसिंग और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के आधार पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए संस्तानिक मोबाइल ऐप बनाई गई है । फाइलों की आवाजाही पर नज़र रखने और किसी भी कदम पर किसी भी अत्यधिक विलंब की जांच करने के लिए संस्थानिक मोबाइल ऐप–आधारित फाइल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। स्वीकृति पत्र (एलओए) जनरेशन मॉड्यूल सभी प्रकार के अनुबंधों (उपलब्धि आधारित, बीओक्यू आधारित, कोटेशन) आदि के लिए एलओए जनरेशन की पूरी प्रक्रिया को संभालता है।

36. कॉर्पोरेट संचार / जन संपर्क

36.1 आरआरटीएस भारत में लागू होने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना है और इस सार्वजनिक परिवहन साधन का उद्देश्य एनसीआर की यात्रा का तरीका बदलना है। यह आवश्यक है कि परियोजना से संबंधित जानकारी यात्री उन्मुखता को रेखांकित करे और परियोजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति से जनता को नियमित रूप से अवगत करवाया जाए।

36.2 एनसीआरटीसी नियमित रूप से परियोजनाओं, महत्वपूर्ण गतिविधियों, उपलब्धियों और मुख्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी का प्रसार करता रहता है। यह जानकारी मुख्य रूप से एनसीआरटीसी की वेबसाइट www-ncrtc-in और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाती है। कंपनी अपने लिंक्डइन हैंडल के माध्यम से पेशेवर नेटवर्किंग सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति भी बनाए रखती है। लिंक्डइन पर कंपनी के पेज https://www.linkedin.com/company/ncrtcltd को देखा जा सकता है। 2019–20 में 5000 से अधिक संगठन फॉलोअर के साथ, इसने अपने उद्योग के समकक्षों के बीच महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है।

36.3 आरआरटीएस जैसी बड़े पैमाने पर स्थित सार्वजनिक पारगमन परियोजना के सुचारू निष्पादन के लिए निरंतर सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। एनसीआरटीसी दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस गलियारे के संरेखण के साथ विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित कर रहा है। समुदायों को न केवल चल रहे घटनाक्रम से अवगत कराया जाता है, बल्कि सीआईपीएस के दौरान उनके विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों को आरआरटीएस परियोजना के विभिन्न आयामों, दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण योजना के बारे में जागरूक किया। यह निर्माण के दौरान जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए और उन विभिन्न सामाजार्थिक लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए है जो इस अगली पीढ़ी की आवागमन व्यवस्था से प्राप्त होंगे। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक लाभों के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि अगली पीढ़ी की गतिशीलता के बुनियादी ढांचे को वितरित करेंगे।

36.4 2019–20 में, एनसीआरटीसी ने वसुंधरा (साहिबाबाद), गुलधर, मुरादनगर और मोदीनगर के आरआरटीएस स्टेशन स्थानों पर चार सीआईपी का आयोजन किया।

36.5 आंतरिक संचार को मजबूत करना उन स्तंभों में से एक है जिन पर एनसीआरटीसी खुद को एक शिक्षण संगठन के रूप में विकसित कर रहा है। यह प्रयास कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशंस द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक ऑनलाइन समाचार पत्र 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' द्वारा समर्थित है। इस अनौपचारिक माध्यम से, अधिकारी परियोजनाओं से संबंधित विकास, उपलब्धियों और योजनाओं के अलावा, एक–दूसरे के साथ संवाद, वैश्विक विकास और व्यक्तिगत विकास के बारे में जानकारी साझा करते हैं। एनसीआरटीसी कनेक्ट के चार अंकों को 2019–20 में प्रकाशित किया गया था।

37. लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण

कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड को बनाए रखने की कम्पनी को आवश्यकता नहीं है।

38. पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन

संचालन और रखरखाव के लिए (ओएडंएम) अपेक्षित सेवाओं की प्रदानगी और आंतरिक क्षमता के विकास निजी क्षेत्र की संबद्ध प्रबंधकीय क्षमता और उद्यमशीलता की भावना लाने के लिए आपकी कम्पनी ने 06.08.2020 को 'एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड' (नेत्र) नामक पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को निगमित किया है।

39. कोविड–19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी, 2020 को नोवेल कोरोना वायरस बीमारी (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित किया। रोग के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को लागू करने में, हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालय विस्तारित समय के साथ इष्टतम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं।

अपने कर्मचारी की सुरक्षा पहले दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने सभी कर्मचारियों का पता लगाने और उनकी भलाई के लिए आश्वस्त होने के लिए शीघ्र उपाय शुरू किए हैं। हमारे कर्मचारियों ने कार्यबल को नए तरीके से 'वर्क फ़्रोम होम' में अंतरित करके गति और दक्षता का परिचय देते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।

इस परिवर्तन के दौरान हमारे कार्य स्थलों में सक्रिय तैयारी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे कार्यालय काम के दौरान अधिकारियों के लिए सुरक्षित हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान लॉकडाउन का उपयोग क्षमता निर्माण के अवसर के रूप में भी किया गया था। 100 से अधिक अधिकारियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

40. स्वीकृति

40.1 आपके निदेशक आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार और अन्य मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों और एजेंसियों, एनसीटी दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उ.प्र. सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड आदि की ओर से वर्ष भर मिले सहकारिता और सहयोग, संचालन, बहुमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन की गहराई से प्रशंसा करते हुए उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं।

40.2 आपके निदेशक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य वर्धित सेवा भागीदारों, बैंकरों और सभी व्यवसायियों से प्राप्तरचनात्मक सुझावों और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

40.3 बोर्ड कंपनी को वित्तपोषण देने के लिए विचार करने में एशियन विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इंवेस्टमेंट बैंक, राष्ट्रीय विकास बैंक का उनकी सहभागिता और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है।

40.4 सभी स्तर पर सहयोगियों और कर्मचरियों के अथक प्रयासों की भरपूर प्रशंसा करते हैं जिन्होंने कंपनी की सतत प्रगति और विकास के मार्ग को आसान बनाया है।

41. अनुलग्नक: निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं

41.1 कंपनी की "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।

41.2 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार प्रकटीकरण **अनुलग्नक–2** में संलग्न है।।

41.3 कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक–3** में संलग्न है।

41.4 कंपनी का "वार्षिक रिटर्न का उद्धरण" इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–4** में संलग्न है।

41.5 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

41.6 वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह./-	ह./-
नमिता मेहरोत्रा	**विनय कुमार सिंह**
निदेशक/वित्त	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 07916304	**डीआईएन : 06497700**

स्थान: – नई दिल्ली
दिनांक: – 25.09.2020

आरआरटीएस ट्रेन के प्रथम लुक का अनावरण

आरआरटीएस का प्रथम चरण

अनुलग्नक–1

फॉर्म संख्या एम आर 3
सचिवीय लेखाकार की रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक नियम) 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में)

सेवा में
सभी सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(सीआईएनः U60200DL2013GOI256716)

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (बाद में इसे कम्पनी के नाम से परिभाषित किया गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की लेखा परीक्षा को परिचालित किया है। साचिविक लेखा परीक्षा इसप्रकार आयोजित की गयी थी, जिसने हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यविवरण पुस्तक फॉर्म, और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों एवं कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखा परीक्षा के परिचालन के दौरान हमें प्रदान की गयी जानकारी के सत्यापन के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, अर्थात, 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक (इसके बाद "लेखा परीक्षा अवधि" के रूप में संदर्भित की गयी है), यहां पर सभी सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमने जो भी रिपोर्ट बनाई है, उसके तरीके या उसके विषय की बात है तो कंपनी के पास उचित तरीके से बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र उपस्थित है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त प्रावधानों के अनुसार पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और कम्पनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, **जो बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में लागू नहीं होंगे।**

(iii) डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप–क़ानून, **जो बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में लागू नहीं होंगे।**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सागरपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम और **जो बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में लागू नहीं होंगे।**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के के अंतर्गत निर्धारित किए गए निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः **जो बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में लागू नहीं होंगे।**

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

(ब) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992

(स) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को जारी किया जाना) विनियम, 2009

(द) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति को जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008

(ख) कंपनी अधिनियम और उपभोक्ता के साथ व्यवहार के सन्दर्भ में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यु के लिए रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं की सूची बनाना और आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम)

हमने यह भी जांच की है कि क्या निम्नलिखित धाराओं का पालन किया गया है:

(i) द इंस्टीट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए साचिविक मानक।

(ii) लागू औद्योगिक और श्रम कानून, मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978, मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002, सामान्य घोषणा क़ानून जैसे सूचना का अधिकार आदि।

समीक्षा की गयी अवधि के दौरान तथा सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर यह पाया गया कि कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशक बोर्ड का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार किए गए थे।

बोर्ड/बोर्ड की बैठक के आयोजन से कम से कम सात दिन पूर्व सभी सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गयी थी, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियाँ पहले से भेजी गयी थीं और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर स्पष्टीकरण एवं अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए एवं चाहने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रचलित कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

मनोज पुरबे एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-

अविनाश कुमार
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 43422
सीपी संख्या: 18318
यूडीआईएन: A043422B000571158

दिनांक: 11 अगस्त, 2020
स्थान: दिल्ली

इस रिपोर्ट को हमारे पत्र की सम दिनांक के साथ पढ़ा जाए, जिसे "अनुलग्नक क" के रूप में यहाँ पर दिया गया है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक "क"

सेवा
सदस्यगण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(सीआईएन: U60200DL2013GOI256716)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

1. यह कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि वह साचिविक अभिलेखों का रखरखाव करे, हर प्रकार के सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि व्यवस्था पर्याप्त हो एवं उसका परिचालन प्रभावी तरीके से हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

2. हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे सम्मुख लेखा परीक्षा के लिए जो भी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, उनके निरीक्षण के आधार पर इन साचिविक अभिलेख पर एक राय व्यक्त करें।

3. हमने उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो साचिविक अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। इन अभिलेखों का सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साचिविक अभिलेखों में सही तथ्य ही परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि हमने जिन भी प्रक्रियाओं और प्रथाओं, का पालन किया है, हमने अपने विचारों को एक उचित आधार प्रदान किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक था, समीक्षा अवधि के दौरान कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में हमारे साथ प्रबंधन का प्रतिनिधित्व रहा है।

घोषणा

5. साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही वह प्रभाशीलता और प्रभावकारिता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।

6. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों के खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले से बताई गई टिप्पणियों / टिप्पणियों / कमजोरियों को सम्मिलित नहीं कर रही है।

मनोज पुरबे एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-

अविनाश कुमार
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 43422
सीपी संख्या: 18318
यूडीआईएन: A043422B000571158

दिनांक: 11 अगस्त, 2020
स्थान: दिल्ली

अनुलग्नक–2

वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(31.03.2020 को)

क्र.स.	विवरण	टिप्पणियाँ		
1	कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल की जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन तथा सीएसआर नीति के लिए वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।	कंपनी को अभी अपने वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने हैं और इसकी कुल आय अन्य स्रोतों (मुख्य रूप से सावधि जमा पर ब्याज) से ही है। यद्यपि कम्पनी ने सीएसआर नीति को लागू किया हुआ है। वेबसाइट का वेबलिंकः www-ncrtc-in है।		
2	सीएसआर समिति का गठन	**क्र.स.**	**सदस्य का नाम**	**पद**
		1	**सुश्री अर्चना अग्रवाल,** सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष
		2	**श्री दीपक कुमार** उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक	सदस्य
		3	**श्री पीयूष अग्रवाल** रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	सदस्य
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	**3,14.74 लाख रूपए**		
4	निर्धारित सीएसआर व्यय (राशि का 2% जिसे ऊपर मद संख्या 3 में दिखाया गया है)	कम्पनी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करे, क्योंकि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंडों में तत्काल आने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात 2018–19 के दौरान सीएसआर योगदानों के लिए किसी भी मानक की पूर्ति नहीं करती है।		

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरणः

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि – **रु 3,14,81,67/–***
(यह पिछले वर्षों के सीएसआर की बिना व्यय की गयी राशि का संचित शेष है)

(ख) 31.03.2020 को यदि कोई राशि शेष है तोः रु. 3,14,81,67/–। हालाँकि, दिनांक 03.04.2020 तक 30 लाख रूपए का भुगतान प्रधानमंत्री देखभाल निधि/प्राइममिनिस्टर रिलीफ फंड को किया गया है और शेष 14,81,67 व्यय नहीं किया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दी गई है

क्र.स.	पहचानी गयी सीएसआर परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को सम्मिलित किया गया है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम आयोजित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उपमदः (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्ट की गयी अवधि तक एकत्र हुआ व्यय	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
शून्य							

6. यदि कम्पनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी भाग के औसत शुद्ध लाभ के 2% को व्यय करने में विफल रही है तो, कंपनी अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रदान करेगी –

क) कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ के अंतर्गत सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में, जिसे कम्पनी संशोधन अधिनियम 2017 के सम्बन्ध में पढ़ा जाए, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, कम्पनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करे, क्योंकि वह तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष 2018–19 के सीएसआर योगदान के लिए निर्दिष्ट निम्न मानदंडों में से किसी की भी पूर्ति नहीं करती है।

– पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य
– एक हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक का कारोबार
– पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक का शुद्ध लाभ

ख) दिनांक 31.03.2019 को 3,14,81,67/– रुपये की बिना व्यय की गयी राशि शेष थी। बोर्ड ने दिनांक 13.03.2020 को आयोजित अपनी 22 वीं बैठक में यह विचार किया कि 3,14,81,67/– रूपए की राशि को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020–21 तक बढ़ा दिया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केवल प्राथमिकता अनुभाग में निर्माण कार्य शुरू किया है। अन्य वर्गों में सिविल कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था और इसे जुलाई अगस्त 2020 तक अंतिम रूप दिया जाना है ।

ग) पूरे भारत में नावेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे एक महामारी के रूप में घोषित किए जाने और परिपत्र संख्या 05.01.2019–सीएसआर दिनांक 23.03.2020 तथा ईएफ संख्या CSR-05/1/2020/CSR-MC। दिनांक 28.03.2020 के अनुपालन में, कंपनी की सीएसआर समिति ने सीएसआर गतिविधियों के लिए किए गए भुगतान के लिए आपात स्थिति निधि में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स फंड) को 3,00,00,00 रुपए की राशि दी और इसका भुगतान दिनांक 03.04.2020 को किया गया ।

घ) सीएसआर की शेष राशि जिसे खर्च नहीं किया गया है, अर्थात 14,81,67/– रूपए, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020–2021 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए ले जाया गया हैं ।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन – सीएसआर यह स्पष्ट बताती है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी को कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में किया जा रहा है।

ह./-

सुश्री अर्चना अग्रवाल
अध्यक्ष, सीएसआर समिति, एनसीआरटीसी
डीआईएनः 02105906

ह./-

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

दिनांकः 25.09.2020
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–3

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी की रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों पर कंपनी के दर्शन पर एक संक्षिप्त वक्तव्य:

कंपनी के विजन वक्तव्य में राजधानी क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए समान, तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल और टिकाऊ गतिशीलता समाधान प्रदान कर, वहां के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना सम्मिलित हैं। विजन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (कंपनी) कंपनी के नियमों, विनियमों और नीतियों के प्रशासन को नियंत्रित करने के एक ऐसे नैतिक ढाँचे का पालन करती है, जिसमें शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्थायी आधार पर व्यापार परिचालन के मूल्य और आचरण हों।

कंपनी का यह दृढ़ता से मानना है कि मात्र अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन से ही अपने सभी हितधारकों को निरंतर आधार पर मूल्य प्रदान किए जा सकेंगे। वर्तमान में, एनसीआरटीसी एक गैर–सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी है, लेकिन शेयरधारकों, समुदाय एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों के हित की रक्षा करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्निहित सिद्धांतों जैसे मूल्य, नैतिकता और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, आपके निदेशक कंपनी के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2. निदेशक बोर्ड :

2.1 बोड का आकार:

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, बोर्ड की शक्ति तीन निदेशकों से कम नहीं होगी और 15 (पंद्रह) निदेशकों से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और नामांकित निर्देशक हो सकते हैं। एनसीआरटीसी कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है और भारत सरकार (आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा एनसीआरपीबी) और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों का संयुक्त उपक्रम है।

2.2 बोर्ड की संरचना:

अ. कंपनी के निदेशक बोर्ड में निम्नानुसार 13 (तेरह) निदेशक शामिल हैं:

i. भारत सरकार से 04 (चार) नामित निदेशक हैं और सचिव (आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय), भारत सरकार बोर्ड के एक्स–ओफिफशियो चेयरमैन है।

ii. राज्य सरकारों से 04 (चार) नामित निदेशक हैं, हर राज्य सरकार से एक नामित निदेशक जैसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान।

iii. प्रबंध निदेशक सहित 05 (पांच) पूर्ण कालिक कार्यात्मक निदेशक।

ब. बोर्ड की संरचना को नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्री कामरान रिज़वी	भारत सरकार द्वरा नामित (आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय)
3.	श्री विजय कुमार देव	जीएनसीटीडी सरकार के नामित व्यक्ति
4.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित व्यक्ति
5.	श्री पीयूष अग्रवाल	रेल मंत्रालय के नामित
6.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	एनसीआर नियोजन बोर्ड के सदस्य
7.	श्री सुबोध अग्रवाल	राजस्थान सरकार के नामित व्यक्ति
8.	श्री अपूर्व कुमार सिंह	हरियाणा सरकार के नामित व्यक्ति
9.	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
10.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्य	निदेशक/परियोजना
11.	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ईआरएस
12.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली
13.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त और सीएफओ

2.3 बोर्ड की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

निदेशक बोर्ड कंपनी का कानूनी निकाय है, जिसकी देखरेख में कंपनी के समग्र कार्य होते हैं। हर प्रकार की बोर्ड प्रक्रियाओं और सभी संबंधित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है। किसी कंपनी में कॉर्पोरेट शासन ढाँचे के साथ क़ानून को सुनिश्चित करने की इसकी जिम्मेदारी, प्रमोटरों की आकांक्षाओं और हितधारकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताती है जिसे सभी बोर्ड की कार्रवाइयों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। निदेशक बोर्ड को उचित और समयबद्ध घोषणाओं के द्वारा हितधारकों की नजर में कानूनी ढांचे, वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग पद्धतियों की सत्यता तथा विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए लिए व्यावसायिक कार्यों के लिए रणनीतिक दूरदृष्टि को अमल में लाना होता है।

2.4 बोर्ड बैठकों की संख्या, और किन तारीखों पर आयोजित की गईं

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के निदेशक बोर्ड ने पांच (05) बार बैठकें की:

18वीं	05.04.2019
19वीं	15.07.2019
20वीं	20.09.2019
21वीं	30.12.2019
22वीं	13.03.2020

2.5 उन सभी पदनामों, निदेशक की श्रेणियों का विचरण, कितनी बोर्ड बैठकों में भाग लिया तथा बोर्ड बैठकों की उपस्थिति, एवं पिछले वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	कितनी बैठकों में उपस्थित होना था	कितनी बैठकों में भाग लिया	अंतिम वार्षिक आम बैठकों में उपस्थिति (20.09.2019 को आयोजित)	अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या
1	**श्री दुर्गा शंकर मिश्रा,** चेयरमैन, एनसीआरटीसी और सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय	भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति	5	5	हा	10
2	**श्री कामरान रिज़वी,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (28.01.2020 से)	भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति	1	1	लागू नहीं	4
3	**श्री पीयूष अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सदस्य/योजना, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (06.06.2019 से)	भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति	4	4	हा	2
4	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और एमएस एनसीआरपीबी (07.05.2019 से)	एनसीआरपीबी के नामित व्यक्ति	4	3	हा	1
5	**श्री विजय कुमार देव,** निदेशक, एनसीआरटीसी और मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी (29.05.2019 से)	जीएनसीटीडी के नामित व्यक्ति	4	0	लागू नहीं	-
6	**श्री दीपक कुमार,** निदेशक, एनसीआरटीसी और प्रमुख सचिव – आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश। (20.09.2019 से)	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित व्यक्ति	3	2	लागू नहीं	1
7	**श्री सुबोध अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, राजस्थान (05.04.2019 से)	राजस्थान सरकार के नामित व्यक्ति	5	3	लागू नहीं	3

8	**श्री अपूर्व कुमार सिंह,** निदेशक, एनसीआरटीसी और हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव, शहर एवं नगर योजना और शहरी संपदा विभाग, हरियाणा	हरियाणा सरकार के नामित व्यक्ति	5	4	लागू नहीं	3
9	**श्री विनय कुमार सिंह**	प्रबंध निदेशक	5	5	हा	2
10	**श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या** (15.07.2019 से)	निदेशक / परियोजना	4	4	हा	0
11	**श्री महेंद्र कुमार** (15.07.2019 से)	निदेशक / ईआरएस	4	4	हा	1
12	**श्री नवनीत कौशिक** (15.07.2019 से)	निदेशक / प्रणाली	4	4	हा	0
13	**श्रीमती नमिता मेहरोत्रा** (20.09.2019 से)	निदेशक / वित्त और सीएफओ	3	3	हा	0
14	**श्री संजय मूर्ति,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सचिव (डी), आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (06.12.2018 से 06.12.2019 तक)	भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति	3	2	हा	3
15	**श्री शिव दास मीणा,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सचिव(सीवीओ), आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (06.12.2019 से 28.01.20 तक)	भारत सरकार के नामित व्यक्ति	1	1	लागू नहीं	3
16	**श्री राजेश अग्रवाल** निदेशक, एनसीआरटीसी और ईडी,एमटीपी और रेल मंत्रालय (10.05.2018 से 06.06.2019 तक)	भारत सरकार के नामित व्यक्ति	1	0	लागू नहीं	2
17	**श्री पी गुरु प्रसाद,** निदेशक, एनसीआरटीसी और प्रमुख सचिव, सार्वजनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (03.11.2017 से 15.04.2019 तक)	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित व्यक्ति	1	0	लागू नहीं	1
18	**श्री देवेश चतुर्वेदी,** निदेशक, एनसीआरटीसी और प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश सरकार (27.06.2019 से 20.09.2019 तक)	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित व्यक्ति	1	0	लागू नहीं	1
19	**श्री नितिन रमेश गोकर्ण,** निदेशक, एनसीआरटीसी और प्रमुख सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश सरकार) (15.04.2019 से 27.06.2019 तक)	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित व्यक्ति	1	0	लागू नहीं	1
20	**श्री अंशु प्रकाश,** निदेशक, एनसीआरटीसी और मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी (29.01.2018 से 15.03.2019 तक)	जीएनसीटीडी के नामित व्यक्ति	1	0	लागू नहीं	1
21	**श्री राजीव स्वरूप,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, राजस्थान (27.06.2017 से 05.04.2019 तक)	राजस्थान सरकार के नामित व्यक्ति	1	0	लागू नहीं	3

2.6 बोर्ड की प्रक्रिया/कार्यवाहियां:

अ. बोर्ड/समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड/समिति की बैठकें उचित नोटिस देकर बुलाई जाती हैं। जो भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं, उनके सम्बन्ध में सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से उपयुक्त सहायक कागजात और अन्य व्याख्यात्मक वक्तव्यों के साथ प्रस्ताव एवं एजेंडा नोट्स/टिप्पणियाँ प्रसारित किए जाते हैं। इसके कारण बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा और निर्णय लेने की सुविधा प्राप्त होती है।

ब. एजेंडा पेपर/दस्तावेज़ को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किया जाता है और बोर्ड सदस्यों के मध्य उन्हें प्रचालित करने से पहले एवं अनुमोदन के लिए प्रबंध निदेशक के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले, उनके विषय में सहमति प्राप्त करने हेतु उन्हें संबंधित कार्यात्मक निदेशकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । इसके उपरान्त, कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों के मध्य विधिवत रूप से अनुमोदित एजेंडा पेपर्स को परिचालित किया जाता है। कई बार विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, एजेंडा पर अतिरिक्त या पूरक मदों पर भी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति के साथ चर्चा की जाती है।

स. **प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त विवरण**

बोर्ड की जो भी बैठकें आयोजित होती हैं उनमें प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को यह जानकारी प्रदान करते है कि परियोजना की स्थिति क्या है और और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित अन्य प्रमुख विकास क्या रहे हैं।

क. **बोर्ड की बैठक में कार्यवाही के कार्यविवरण को रिकॉर्ड करना**

बैठक के कार्यविवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 और क्रियान्वित सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक बोर्ड बैठक की कार्यवाही के कार्यविवरण रिकॉर्ड किए जाते हैं और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बनाई गयी कार्यविवरण पुस्तिका में उन्हें दर्ज किया जाता है। बोर्ड समिति की बैठक के कार्यविवरण भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, तदोपरांत समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन और हस्ताक्षर उपरान्त समिति के सदस्यों के मध्य उन्हें प्रचालित किया जाता है।

म. **बोर्ड की बैठक से पूर्व प्रस्तुत की गयी जानकारी**

बोर्ड के पास कंपनी की हर सूचना उपलब्ध होने का अधिकार होता है। बोर्ड के पास निम्नलिखित सूचनाएं नियमित पहुंचनी चाहिए: –

i. कंपनी की प्रगति की आवधिक समीक्षा।

ii. वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।

iii. बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यविवरण।

iv. अन्य कंपनियों में निदेशक और स्थिति के बारे में निदेशकों द्वारा रूचि का प्रकटन

v. शक्तियों का वितरण

vi. किसी भी नियामक या वैधानिक आवश्यकता के किसी भी गैर–अनुपालन के साथ अन्य सामग्री परक महत्वपूर्ण जानकारी।

2.7 बोर्ड बैठक के आयोजन के बाद की प्रक्रिया

कंपनी का कंपनी सचिव, प्रशासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बोर्ड की बैठकों के परिणाम को विभाग के प्रमुख द्वारा प्रदत्त आवश्यक अनुमोदन और अनुमतियों/अधिकारों के साथ प्रचारित करता है तथा बैठक के उपरान्त का एक अनुपालन तंत्र है जिसके द्वारा उठाए गए क़दमों/अनुमोदन के लिए लंबित क़दमों पर आवश्यक समीक्षा, फॉलोअप और रिपोर्टिंग की जाती है, जिसके आधार पर ही बोर्ड/समितियों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

2.8 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतनमान

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के वेतनमान विवरण को वार्षिक रिटर्न (फॉर्म संख्या एमजीटी–9) के उद्धरण में शामिल किया गया है।

2.9 सरकार द्वारा नामित निदेशकों के सिटिंग शुल्क का भुगतान

कंपनी द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों के लिए किसी भी प्रकार का सिटिंग शुल्क नहीं दिया जाता है

3. बोर्ड की समितियां:

कंपनी में निम्नलिखित तीन (3) बोर्ड समितियां हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति

ख) निवेश समिति

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

4. लेखापरीक्षा समिति

4.1 संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

लेखा परीक्षा की सन्दर्भ की शर्तों और कार्यों का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू नियम के अनुसार है।

4.2 संविधान, संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

अ. कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन में दिनांक, 15.09.2015 के प्रभाव से अपने निदेशक बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया और वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में तीन नामित निदेशक सम्मिलित हैं। संरचना, कोरम, शक्तियां, भूमिका और कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति का सचिव होता है। वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

6वीं लेखापरीक्षा समिति – 08.04.2019	7वीं लेखापरीक्षा समिति – 28.06.2019	8वीं लेखापरीक्षा समिति – 27.12.2019

इ. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लेखा परीक्षा समिति की संरचना, बैठक और उपस्थिति निम्नानुसार है: –

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान बैठकें हुईं	बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और एमएस एनसीआरपीबी	अध्यक्ष (07.05.2019 से)	2	2
2.	**श्री कामरान रिज़वी,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय	सदस्य (28.01.2020 से)	शून्य	लागू नहीं
3.	**श्री पीयूष अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सदस्य/योजना, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	सदस्य (06.06.2019 से 31.03.2020 तक)	2	2
4.	**श्री संजय मूर्ति,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सचिव (डी), आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय	सदस्य (06.12.2018 से 06.12.2019 तक)	2	2
5.	**श्री राजेश अग्रवाल** निदेशक, एनसीआरटीसी और ईडी एमटीआर, रेल मंत्रालय	सदस्य (10.05.2018 से 06.06.2019 तक)	1	1

5. निवेश समिति

5.1 **संदर्भ की शर्तें:** – निवेश समिति कंपनी की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार निवेश की जांच करती है और अनुशंसा करती है ।

5.2 **बैठकों की संख्या:** – वर्ष के दौरान निवेश समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गईं।

10वीं - 03.10.2019	11वीं - 31.10.2019	12वीं – 03.01.2020	13वीं – 17.03.2020

5.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बैठक में निवेश समिति के सदस्यों की संख्या और उपस्थिति निम्नानुसार है: –

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान बैठकें हुईं	बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और एमएस एनसीआरपीबी	सदस्य (07.05.2019 से)	4	4
2.	**श्री विनय कुमार सिंह,** प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी	सदस्य	4	4
3.	**श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या,** निदेशक/परियोजना, एनसीआरटीसी	सदस्य (15.07.2019 से)	4	4

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

6.1 **संदर्भ की शर्तें:** सीएसआर समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में हैं।

6.2 **बैठक की संख्या:** – वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की दो (02) बैठकें हुईं ।

3री - 12.12.2019	4थी - 06.03.2020

6.3 31.03.2020 तक सीएसआर समिति की संरचना और सदस्यों का विवरण एवं बैठकों का विवरण निम्न है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान बैठकें हुईं	बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और एमएस एनसीआरपीबी	सदस्य (07.05.2019 से)	2	2
2.	**श्री दीपक कुमार,** निदेशक, एनसीआरटीसी और प्रमुख सचिव–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य (20.09.2019 से)	2	0
3.	**श्री पीयूष अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सदस्य/योजना, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	सदस्य (06.06.2019 से 31.03.2020 तक)	2	2

7. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (C&AG) ने कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में वर्ष 2019–20 के लिए निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया है:

ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, फर्म पंजीकरण संख्या 008079 एन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान वर्ष 2019–20 के लिए 10,00,00/– (केवल एक लाख रुपए) का किया गया था, तथा इसमें उचित कर अतिरिक्त जोड़ा गया था।

8. वार्षिक आम बैठकें (एजीएम):

कंपनी की अंतिम 3 वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं: –

वार्षिक आम बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
6वीं वार्षिक आम बैठक	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	20.09.2019	शाम: 5:00 बजे	सम्मलेन कक्ष संख्या 123C, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	शून्य
5वीं वार्षिक आम बैठक	01.04.2017 से 31.03.2018 तक	25.09.2018	शाम: 4:30 बजे	सम्मेलन कक्ष, एएमडीए भवन, एनसीआरटीसी 7/6, सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	हाँ
4वीं वार्षिक आम बैठक	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	18.09.2017	शाम: 4:00 बजे		हाँ

9. प्रकटन घोषणा

अ. आवश्यक प्रकटन घोषणाओं को बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

ब. **बोर्ड के सदस्यों के लिए परस्पर परिचय कार्यक्रम:**
नए निदेशक को ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, और कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दी जाते हैं।

स. **शेयरधारक पद्धति:** एनसीआरटीसी कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है और भारत सरकार (आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा एनसीआरपीबी) और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी के पास इक्विटी शेयर हैं और वह 100 करोड़ रु तक पूर्णदत्त पूंजी है ।

द. **स्वेट इक्विटी शेयर और स्टॉक विकल्प:** कंपनी ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों को कोई स्वेट इक्विटी शेयर और स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है ।

क. **संचार के साधन:** वार्षिक वित्तीय विवरण, निविदाएं और कैरियर के अवसर आदि को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी अपने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आधिकारिक समाचार जारी करके जानकारी का प्रसार कर अपने हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करती है।

ख. **कंपनी की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराना:** – कंपनी की वेबसाइट www-ncrtc-in एक उपयोगकर्ता के अनुकूल साइट है, जिसमें सभी आधुनिक कदम उठाए गए हैं।

ग. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें इंटर–आलिया, वित्तीय वक्तव्य, बोर्ड की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के कैग की टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है, उसे सभी सदस्यों और अन्य हकदार लोगों के बीच परिचालित किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित है। और संसद/राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल की ओर से

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

ह./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त
डीआईएन : 07916304

ह./-
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

स्थान: – नई दिल्ली
दिनांक: – 25.09.2020

अनुलग्नक–4

फॉर्म संख्या एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न का सारांश

वित्त वर्ष 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष पर

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 12 (1) 2014 के अनुपालन में)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	U60200DL2013GOI256716
2.	पंजीकरण तिथि	21/08/2013
3.	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयर/भारत सरकार द्वारा लिमिटेड कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	7/6, सिरी फोर्ट, इंस्टीट्युशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली 110049
6.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
7.	यदि कोई रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हो तो उसका नाम, पता और संपर्क विवरण।	लागू नहीं

II. कंपनी की मूल व्यवसायिक गतिविधियाँ

(उन सभी गतिविधियों को बताया जाएगा जो कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान करती हैं)

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	लागू नहीं (कंपनी ने अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है)		

III. स्वामित्व और सहायक कम्पनियों के विवरण

लागू नहीं (कंपनी के पास इस रिपोर्ट के दिनांक तक कोई भी सहायक नहीं है)।

IV. शेयर धारक पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

क) श्रेणी अनुसार शेयर धारक

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2020 तक)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	फिजिकल (लाख में)	कुल (लाख में)	कुल शेयरों का %	डिमैट	फिजिकल (लाख में)	कुल (लाख में)	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	50.00	50.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	-
ग) राज्य सरकार	-	50.00	50.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	-
घ) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) कोई अन्य	-	-	-	-		-	-	-	-
उप योग (क) (1)	-	1,00.00	1,00.00	1,00.00	-	1,00.00	1,00.00	1,00.00	-
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय – व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य – व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	-	1,00.00	1,00.00	1,00.00	-	1,00.00	1,00.00	1,00.00	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारक									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख) (1): –	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास 1 लाख रूपए तक की पूंजी है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास 1 लाख रूपए से अधिक की पूंजी है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगम निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समाशोधन/क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय दृ डेबिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख) (2): –	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित किए गए शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क + ख + ग)	-	1,00.00	1,00.00	100	-	1,00.00	1,00.00	100	-

ख) प्रमोटर की शेयर धारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता (01/04/20 19 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31/03/20 20 तक)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में चढ़ाया / चढ़ाया गया शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में चढ़ाया / चढ़ाया गया शेयरों का %	
1	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
2	रेल मंत्रालय	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00
5	हरियाणा सरकार	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00
6	राजस्थान सरकार	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00
7	उत्तर प्रदेश सरकार	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00

ग) **प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन** (यदि कोई परिवर्तन न हो तो कृपया निर्दिष्ट करें)

वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं

क्र.स.	विवरण	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी शेयर का कुल %	शेयरों की संख्या	कंपनी शेयर का कुल %
1	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता	10,00,00,00	100	10,00,00,00	100
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	10,00,00,00	100	10,00,00,00	100

घ) **शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्नः**
(निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर और एडीआर के होल्डर्स/धारकों के अतिरिक्त):

शून्य (वर्तमान में कंपनी की 100% शेयरधारिता भारत सरकार और भाग लेने वाले राज्यों की सरकारों के बीच है)

च) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिताः**

शून्य

V. ऋणग्रस्तताः

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें ब्याज बकाया/एकत्र हुए हैं, मगर वह भुगतान के लिए देय नहीं हैं।

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण (रुपए में राशि लाख)	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	शून्य	3,54,00	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज अर्जित पर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i + ii + iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
*जोड़	शून्य	8,34,00	शून्य	शून्य
*कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	8,34,00	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मूलधन	शून्य	11,88,00	शून्य	शून्य
पप) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पपप) ब्याज अर्जित पर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i + ii + iii)	**शून्य**	**11,88,00**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का वेतनमान

I. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और / या प्रबंधक का वेतनमान :

	नाम	श्री विनय कुमार सिंह	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	श्री महेंद्र कुमार	श्री नवनीत कौशिक	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	कुल
	पद	प्रबंध निदेशक	निदेशक/ परियोजना (15.07.2019 से प्रभावी)	निदेशक/ ई एडं आरएस (15.07.2019 से प्रभावी)	निदेशक/ सिस्टम (15.07.2019 से प्रभावी)	निदेशक/ वित्त (20.09.2019 से प्रभावी)	
क्र.स.	**वेतनमान का विवरण**	**प्रबंध निदेशक / संपूर्ण समय के निदेशकों का वेतनमान**					
1	**सकल वेतनः**						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	4,23,75,45.00	3,00,97,78.00	3,26,84,66.00	2,67,62,27.00	1,86,23,82.00	15,05,43,98.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	67,56,62.00	1,67,51.00	1,67,37.00	59,84.00	23,46,43.00	94,97,77.00
	(ग) धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-	-

क्र.स.	वेतनमान का विवरण	प्रबंध निदेशक / संपूर्ण समय के निदेशकों का वेतनमान					
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें: नौकरी के उपरान्त के लाभ (पीआरएमबी, नियोक्ता एनपीएस, पेंशन और पीएफ जारी रखे हुए है)	76,40,94.00	35,75,31.00	57,38,97.00	40,11,39.00	28,37,87.00	2,38,04,48.00
	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (ग्रेच्युटी, आरएल, एचपीएल)	1,74,31,08.00	20,39,26.00	92,39,05.00	34,80,06.00	-	3,21,89,45.00
	कुल (क)	7,42,04,09.00	3,58,79,86.00	4,78,30,05.00	3,43,13,56.00	2,38,08,12.00	21,60,35,68.00
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	लागू नहीं					

ख) अन्य निदेशकों को वेतन :

(प्रबंध निदेशक और पूर्ण कालिक निदेशकों के अतिरिक्त कम्पनी के नामित निदेशकों को कोई भुगतान नहीं दिया जाता है)

क्र.स	वेतन विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	कुल (2)		
	कुल (ख) = (1+2)		
	कुल प्रबंधकीय वेतन		
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग		

ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का वेतन ।

क्र.स.	वेतन का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कर्मी			
		श्री वाई पी सक्सेना, सीएफओ (19.09.2019 तक)	श्री साकेत कुमार सिह,कंपनी सचिव (29.12.2019 तक)	श्री विजय कुमार कंपनी सचिव (30.12.2019 के प्रभाव से)	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	1,59,41,48.00	81,24,12.00	37,78,69.00	2,78,44,29.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	2,47,44.00	-	1,69,24.00	4,16,68.00
	(ग) धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प		-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ का प्रतिशत	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:	-	-	-	-
	रोजगार के लाभ (पीआरएमबी, नियोक्ता एनपीएस, पेंशन और पीएफ गिनेगा)	32,80,95.00	8,59,41.00	16,46,76.00	57,87,12.00
	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (ग्रेच्युटी, आरएल, एचपीएल)	27,32,80.00	5,46,83.00	36,18,91.00	68,98,54.00
	कुल (ए)	2,22,02,67.00	95,30,36.00	92,13,60.00	4,09,46,63.00

VII. अर्थदंड/दंड/ मिश्रित शुल्क का विवरण

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/ सजा/ मिश्रित शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	अपील की गई, यदि को हो (विवरण दें)
क) कंपनी					
अर्थदंड	शून्य				
सजा					
मिश्रित					
ख) निदेशक					
अर्थदंड					
सजा					
मिश्रित	शून्य				
ग) अन्य अधिकारियों द्वारा गलती					
अर्थदंड	शून्य				
सजा					
मिश्रित					

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्यगण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के संगत स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2020 तक का तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि के विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, तथा समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरण, एवं वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हैं।

हमारे मतों तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडलोन वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुसार अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करता है तथा कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015, ("Ind AS") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित भारतीय लेखाकरण मानक और भारत में समान्यतया स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्य तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकद प्रवाह से संबंधित विवर्ण सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों (SAs) के अनुसार लेखा परीक्षाकी है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण संबंधी लेखा परीक्षक के दायित्व खंड में दिया गया है। हम इस अधिनियम के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्वे

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो भारतीय लेखाकरण मानकों Ind AS और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह की सही और यथोचित स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, तर्कसंगत और विवेकशील निर्णय और आकलन करना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से चलाए जा रहे हों, सही और निष्पक्ष विचार प्रकट करने हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक, और जालसाजी अथवा त्रुटिवश झूठे विवरण रहित, प्रारूप तैयार करना, निष्पादन और अनुरक्षण करना सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने की क्षमता का आकलन, कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने संबंधी मामलों से संबंधित प्रकटीकरण, जहां लागू हो, और कार्यशील संस्था आधारित लेखा प्रणाली के प्रयोग, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को बेचना अथवा इसके संचालन को रोकना न चाहता हो अथवा कोई यथार्थवादी विकल्प न होते हुए भी ऐसा करना पड़े, प्रबंधन उत्तरदायी होता है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के देखरेख करने के लिए निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय पर तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना किसम्पूर्ण वित्तीय विवरण छल अथवा त्रुटि के कारण भी वस्तुगत झूठे वक्तव्य से मुक्त हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत सम्मिलित होता है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखाकरण मानकों (SA) के अनुपालन में किया गया कोई लेखापरीक्षण हमेशा किसी उपस्थित वस्तुगत झूठे वक्तव्य को पकड़ ही लेगा। गलत विवरण, छल अथवा त्रुटि, किसी के भी कारण प्रकट हो सकते हैं और उनको वस्तुगत तभी माना जाता है जब वे अकेले या सामूहिक रूप से इन वक्तव्यों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने हेतु समुचित रूप से अपेक्षित हों।

लेखाकरण मानकों के अनुरूप किसी लेखापरीक्षा में भाग लेते हुए, हम व्यावसायिक विवेक का पालन करते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय का पालन करते हैं। साथ ही हमः

- वित्तीय विवरणों की सामग्री की गलतबयानी की पहचान और जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे छल अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति प्रभावी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार कर लेखा परीक्षण करना, और अपने मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित लेखापरीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना। धोखे द्वारा होने वाले वस्तुगत झूठे विवरणों नहीं पकड़ पाने से उत्पन्न जोखिम, त्रुटि द्वारा उत्पन्न जोखिम से अधिक बड़ा होता है क्योंकि धोखे में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझ कर की गयी गलतियां, मिथ्या–प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रणों की अनदेखी सम्मिलित हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना है। कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के पर्याप्त और यथोचित होने और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी संचालन पर मत प्रकट करने सम्बंधी हमारा दायित्व अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत आता है।
- प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन।
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था के लेखा प्रयोग की उपयुक्तता और, लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने की कंपनी की क्षमता पर गहरा संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तब हमें लेखापरीक्षक की रिपोर्ट द्वारा वित्तीय विवरण ों में संबंधित प्रकटीकरण के विषय में ध्यान आकर्षित करना पड़ता है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तब हमें अपना मत परिवर्तित करना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किन्तु भावी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण कंपनी कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की सम्पूर्ण प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संचालन और घटनाओं

को उस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिससे प्रस्तुति की निष्पक्षता प्रकट हो सके।

हम अन्य विषय वस्तुओं में लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और इसका समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रणों में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी पहचान हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं ।

हम अभिशासन संचालन का प्रभार वाले सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता संबंधी, सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं की अनुपालना का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में भी सूचित करते हैं जिन पर हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित कर सकने की क्षमता के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है ।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के द्वारा अपेक्षित भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश ("आदेश"), 2016 के संबंध में, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध क पर एक विवरण दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, अपने लेखा परीक्षण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगकर प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे संज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(क) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित बही–खातों का अभी तक सही प्रकार से प्रबंध किया है जैसा कि उन खातों के अवलोकन से प्रतीत होता है।

(ख) इस रिपोर्ट द्वारा जांचे गए तुलन पत्र, अन्य विस्तृत आय सहित लाभ–हानि वक्तव्य, इक्विटी में परिवर्तन संबंधी वक्तव्य और नकद प्रवाह विवरण बही–खातों से मेल खाते हैं।

(ग) हमारे मतानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS का अनुपालन करते हैं।

(घ) यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ङ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों के प्रभावी संचालन के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट "अनुबंध–ख" को देखें।

(च) हमारे मतानुसार और हमारी संसूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) कंपनी, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

– कंपनी पर कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जिसके लिए भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS के अनुसार इसके वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता पड़ती हो।

– कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई भी दीर्घ–कालिक अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि हो।

– कंपनी की ओर से निवेश शिक्षा और सुरक्षा कोष में कोई भी धन राशि जमा नहीं की जानी अपेक्षित है।

3. **कोविड–19 के प्रभाव का मूल्यांकन**

   हम टिप्पणी 42 की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जिसमें कोविड–19 महामारी से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता और कंपनी के संचालन पर होने वाले प्रभाव और परिसंपत्तियों की हानि के अनुमान का वर्णन है, जो भविष्य में महामारी की भयावहता और अवधि से होने वाले परिणामों पर निर्भर है।

   इस विषय में हमारा मत संशोधित नहीं है।

4. अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकता के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्रं. सं.	दिशा–निर्देश	लेखापरीक्षक का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने की प्रणाली है। यदि हाँ तो वित्तीय निहितार्थ यदि कोई हो ,के साथ–साथ लेखों की संपूर्णता/शुद्ध ता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेन–देन के संसाधन के निहितार्थ बताए जाएँ।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली द्वारा सभी लेखा लेन–देनों को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं और लेखों की शुद्धता/संपूर्णता पर कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं पड़ता है।
(ii)	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनरसंरचना की गयी है अथवाकंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिये गए कर्ज/ऋण/ब्याज माफी/छूट का कोई मामला है। यदि हाँ तो इसका वित्तीय प्रभाव बताएं।	वर्तमान में, कंपनी द्वारा भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौण ऋण प्राप्त किया गया है। ऋण अथवा ब्याज आदि की पुनरसंरचना, अधित्याग या अपलिखित होने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं हेतु प्राप्त/ प्राप्य निधियों का लेखा उनके नियमों और शर्तों के अनुसार यथोचित रूप से रखा गया था/ उपयोग किया गया था? विचलन वाले मामलों को सूचीबद्ध करें।	हां, ऐसे सभी लेन–देन का उचित लेखांकन किया गया है और उनका प्रयोग पूर्वकथित प्रयोजनों के लिए नियम और शर्तों के अनुसार किया गया है।

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 008079N

ह./-
पंकज महाजन
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 091876

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

यूडीआईएनः 20091876AAAAAI2820

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–'क'

हमारी लेखापरीक्षाऔर हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के औचित्य पर विचार करते हुए, हमें यह कहना है कि:–

(i) कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में:–

(क) कंपनी ने उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं जिनमें परिमाणात्मक विवरणों और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित किए गए हैं।

(ख) अपनी अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के लिए कंपनी एक नियमित कार्यक्रम चलाती है जिसके द्वारा सभी अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन चरणबद्ध रूप से किया जाता है, इस कार्यक्रम के अनुरूप अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन वर्ष के अंत में किया गया था। हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं पायी गयी।

(ग) 1,86.58 लाख रुपए मूल्य की खिचड़ीपुर, दिल्ली स्थित 1588 वर्गमीटर फ्रीहोल्ड भूमि और 1,69,97.69 लाख रुपए मूल्य की जंगपुरा, दिल्ली स्थित 12 हेक्टेयर लीजहोल्ड भूमि के स्वामित्व अभिलेख निष्पादन के लिए लंबित हैं।

(ii) वर्ष के अंत में कोई वस्तूसूची नहीं है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में निहित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा रक्षित अथवा अरक्षित, कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के उपनियम 3(iii)(क), (ख) और (ग) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

(iv) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में संदर्भित कोई ऋण,निवेश,गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं है। परिणामतः आदेश का अनुच्छेद 3(iv) क्रियान्वित नहीं होता।

(v) कंपनी द्वारा जनता से कोई जमा धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(vi) हमें दी गयी सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत, कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संदर्भ में लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) वैधानिक बकायों के संबंध में:–

(क) अभिलेखों, सूचनाओं और वैधानिक बकायों के संबंध में हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी सामान्यतया नियमित रूप से भविष्य निधि, आयकर, सेवा कर, माल और सेवा कर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकायों, जो लागू हों, सहित अविवादित वैधानिक बकायों को उपयुक्त प्राधिकरण में जमा करा देती है और देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय के लिए 31 मार्च, 2020 को कोई अविवादित धनराशि देय नहीं थी।

(ख) हमारे द्वारा प्राप्त की गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 6.15 लाख रुपए की आयकर धनराशि विवादित रूप से बकाया थी। 20 फरवरी 2018 की मांग पर स्टे लेने के लिए को कंपनी द्वारा 1.23 लाख रुपए जमा किए गए। विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत अंतिम निपटान की अपील के रूप में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2020 को 3.45 लाख रुपए जमा किए गए।

इसके अलावा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, माल और सेवा कर, सेस और अन्य वस्तुगत वैधानिक बकायों में ऐसा कोई बकाया नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।

(viii) हमारे मतानुसार और हमें प्रदान की गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बैंकों पर कोई धनराशि बकाया नहीं है और इसलिए यह उप–नियम लागू नहीं होता है। ऋण–पत्र धारकों, सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों पर कोई धनराशि बकाया नहीं है।

(ix) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा इसके बाद किसी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋण कोई धनराशि जुटाई नहीं गयी है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमें प्रदान की गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कोई भी कंपनी द्वारा कोई वस्तुगत वंचना अथवा कंपनी पर इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा वंचना देखी अथवा सूचित की गयी है।

(xi) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 463(e) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। अतः आदेश के पैराग्राफ 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें प्रदान की गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, जहां कहीं भी लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ व्यवहार अधिनियम की धारा 177 और 178 के अनुपालन के अनुसार हुए हैं और मान्य लेखाकरण मानकों की आवश्यकतानुसार, वित्तीय विवरणों में विवरणों को प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अधिमानी आवंटन अथवा शेयरो का निजी रूप से आवंटन अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण–पत्रों का आवंटन नहीं किया गया है।

(xv) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशको अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद व्यवहार किया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) यह कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्याः 008079N

ह./-

पंकज महाजन

पार्टनर

सदस्यता संख्याः 091876

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

यूडीआईएनः 20091876AAAAAI2820

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के माननीय सदस्यों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर सम तिथि की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

हमने 31 मार्च 2020 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षाउस तिथि को समाप्त हुए वर्ष पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण करने संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अत्यावश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण करना है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिरूप बनाने, क्रियान्वित तथा अनुरक्षण करना सम्मिलित है जिनका प्रयोग व्यवसाय को सुचारू और कार्यकुशलता से चलाने के लिए प्रभावी रूप से किया जा रहा था, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वंचनाओं और त्रुटियों की पहचान और रोकथाम, लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की सही समय पर तैयार करना सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभाविता पर मत प्रकट करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वितीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक टिप्पणी") संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण मार्ग दर्शक टिप्पणी तथा लेखा परीक्षण मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण की लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार किया है, और दोनों ही इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणियों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आचरण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यथोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें जिससे पता चल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी संचालन संबंधी लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना सम्मिलित होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी महत्वपूर्ण कमी की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परिरूप और संचालन प्रभाविता की जांच और मूल्यांकन करना सम्मिलित था। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है जिसमें वंचना अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या विवरणों के जोखिमों का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षण मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं, जो उचित, विस्तृत और सटीक होती हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के व्यवहार और निपटान को यथोचित रूप से प्रदर्शित करती हैं; (2) यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि वित्तीय वक्तव्यों को व्यापक रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनिवार्यता के साथ व्यवहार को दर्ज किया गया है तथा कंपनी की उन प्राप्तियों और व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुज्ञप्ति के अनुसार ही किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय वक्तव्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, सांठ–गांठ अथवा कुप्रबंधन, नियंत्रणों की अनदेखी, त्रुटि अथवा वंचना के कारण वस्तुगत मिथ्या–कथन जैसी संभावनाएं बन सकती हैं जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम भरे हो सकते हैं क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आने से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में समग्र रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2020 तक इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 008079N

ह./-
पंकज महाजन
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 091876

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

यूडीआईएनः 20091876AAAAAI2820

अनुलग्नक–II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप–निदेशों के अनुसार की है और प्रमाणित करते हैं कि हमको जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निदेशों का अनुपालन हमारे द्वारा किया गया है।

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 008079N

ह./-
पंकज महाजन
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 091876

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

यूडीआईएनः 20091876AAAAAI2820

निमार्ण कार्य की झलक

निमार्ण कार्य की झलक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2020 का तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	1,82,99.44	7,72.06
	(ख) उपयोग की संपत्ति का अधिकार	4	4,94.71	-
	(ग) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	5	5,79,36.22	1,26,89.07
	(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	16,47.73	4.70
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां	7		
	(i) ऋण/प्रतिभूति जमाराशि	7.1	72.41	54.46
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	8	1,24.57	6.52
	(छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	2,06,22.24	1,24,89.22
			9,91,97.32	**2,60,16.03**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	10		
	(i) नकद और नकद समतुल्य	10.1	4,19,54.72	3,87,31.82
	(ii) ऊपर (i) के अतिरिक्त बैंक जमा	10.2	6,94,36.63	1,19,00.76
	(iii) ऋण/प्रतिभूति जमाराशि	10.3	47.98	2.24
	(iv) अन्य	10.4	15,05.43	1,51.75
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11	36.38	60.19
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तिया	12	34.14	46.80
			11,30,15.28	**5,08,93.56**
	कुल परिसंपत्तियां		**21,22,12.60**	**7,69,09.59**

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 008079N

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

ह./-
पंकज महाजन
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 091876
यूडीआईएन: 20091876AAAAAI2820

ह./-
विजय कुमार
कंपनी सचिव
एम. सं. F7801

ह./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) –
सीएफओ
डीआईएन: 07916304

ह./-
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2020 का तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,00,00.00	1,00,00.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	7,05,40.66	2,88,14.56
			8,05,40.66	**3,88,14.56**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	15	11,88,00.00	3,54,00.00
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	1,82.19	-
	(ख) प्रावधान	17	4,03.55	1,08.03
	(ग) अन्य गैर चालू देयताए	18	45,00.00	10,00.00
			12,38,85.74	**3,65,08.03**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं	19		
	(i) अन्य वित्तीय देयताए	19.1	64,98.98	13,65.09
	(ख) अन्य गैर चालू देयताए	20	11,96.75	2,00.01
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	21	90.47	21.90
			77,86.20	**15,87.00**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**21,22,12.60**	**7,69,09.59**

सामान्य सूचना 1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश 2

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 008079N

h./-
पंकज महाजन
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 091876
यूडीआईएन: 20091876AAAAAI2820

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

h./-
विजय कुमार
कंपनी सचिव
एम. सं. F7801

h./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) –
सीएफओ
डीआईएन: 07916304

h./-
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	22	39,07.49	7,67.29
III	**कुल राजस्व (I+II)**		39,07.49	**7,67.29**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	23	1,94.52	1,29.62
	वित्त लागत	24	5.40	-
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	25	57.16	2.73
	अन्य व्यय	26	2,01.77	2,50.90
IV	**कुल व्यय (IV)**		**4,58.85**	**3,83.25**
V	**आपवादिक मदों और कर पूर्व लाभ (III - IV)**		**34,48.64**	**3,84.04**
VI	आपवादिक मद			
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**34,48.64**	**3,84.04**
VIII	कर व्यय	27		
	(1) वर्तमान कर		8,82.74	1,08.33
	(2) पूर्व वर्ष कर		4.68	(0.67)
	(3) आस्थगित कर		(1,23.54)	(2.65)
IX	**चालू प्रचालनों से इस अवधि के दौरान लाभ /(हानि) (VII - VIII)**		**26,84.76**	**2,79.03**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)		-	-
XIII	**इस अवधि के दौरान लाभ/ (हानि) (IX + XII)**		**26,84.76**	**2,79.03**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	(क) (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		21.83	(4.24)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(5.49)	1.18
	(ख) (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV) (इसमें इस अवधि का लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मलित हैं)**		**27,01.10**	**2,75.97**

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
XVI	**प्रति शेयर अर्जन:**	**28**		
	(चालू प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपए लाख में)	**28.1**	26.85	2.79
	(2) विलयित (रुपए लाख में)	**28.2**	26.85	2.79
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:**			
	(बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपए लाख में)		-	-
	(2) विलयित (रुपए लाख में)		-	-
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:**			
	(चालू और बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपए लाख में)	**28.1**	26.85	2.79
	(2) विलयित (रुपए लाख में)	**28.2**	26.85	2.79

टिप्पणियां इन वित्तीय वक्तव्यों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 008079N

h./-
पंकज महाजन
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 091876
यूडीआईएन: 20091876AAAAAI2820

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

h./-
विजय कुमार
कंपनी सचिव
एम. सं. F7801

h./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) –
सीएफओ
डीआईएन: 07916304

h./-
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		34,48.64	**3,84.04**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–			
मूल्य ह्रास		57.16	2.73
पट्टा देयता पर ब्याज		5.40	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से आय		(0.03)	-
ब्याज से आय		(38,92.05)	(7,51.94)
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(3,80.88)**	**(3,65.17)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–			
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (कमी) वृद्धि		12.66	(12.36)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (कमी) वृद्धि		(2,65.47)	1,39.49
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति ऋण में (कमी) वृद्धि		(14.37)	(41.95)
चालू वित्तीय परिसंपत्ति ऋण में (कमी) वृद्धि		(45.74)	(0.26)
अन्य वित्तीय देयता में (कमी) वृद्धि		51,33.89	8,85.17
अन्य चालू देयता में (कमी) वृद्धि		9,96.74	88.44
दीर्घावधि प्रावधानों में (कमी) वृद्धि		3,29.87	85.06
अल्पावधि प्रावधानों में (कमी) वृद्धि		56.05	(8.26)
गैर तात्कालिक वित्तीय देयता में (कमी) वृद्धि		5,44.00	-
	(2)	**67,47.63**	**11,35.33**
प्रचालन से प्राप्त नकद	**(1+2)**	**63,66.75**	**7,70.16**
भुगतान किया गया आयकर		(8,63.61)	(1,42.80)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल नकद		**55,03.14**	**6,27.36**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति,संयंत्र और उपकरणों एवं अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(6,49,69.43)	(1,05,04.91)
प्राप्य ब्याज		28,03.84	7,47.93
पूंजीगत अग्रिम		(81,36.57)	(1,09,66.23)
अन्य बैंक जमा शेषों में परिवर्तन		(5,75,35.87)	(55,44.20)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल प्रवाह		**(12,78,38.03)**	**(2,62,67.41)**

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अनुदान से आगम		3,90,25.00	2,71,00.00
हरियाणा सरकार से आगम		35,00.00	10,00.00
उधार से आगम		8,34,00.00	3,54,00.00
पट्टा देयता की वापसी		(3,61.81)	-
पट्टा देयता पर ब्याज		(5.40)	-
वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		**12,55,57.79**	**6,35,00.00**
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		32,22.90	3,78,59.95
प्रारम्भिक नकद और नकद समतुल्य		3,87,31.82	8,71.87
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		**4,19,54.72**	**3,87,31.82**
नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं			
बैंक में जमा शेष:			
– चालू खाते में		2,87,64.04	1,54,75.29
– अग्रदाय खाते में		4.59	1.56
3 माह अथवा कम परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा		1,31,86.09	2,32,54.97
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य		**4,19,54.72**	**3,87,31.82**

टिप्पणियां: –

1. नकदी प्रवाह विवरण इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण संबंधी भारतीय लेखाकरण मानक–7 (Ind AS-7) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2. कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी Ind AS-7 के संशोधन को अंगीकृत कर लिया है जिससे कंपनी को प्रकटीकरण देना पड़ता है, जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता वित्तीय पोषण गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होने वाली देयता परिवर्तनों, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मलित होते हैं, के मूल्यांकन में सक्षम हो पाते हैं, जिसके लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता की पूर्ति, वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होने वाली देयता को तुलन पत्र में प्राम्भिक शेष और अंतिम शेष के बीच समायोजन के अंतर्वेशन द्वारा की जाती है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुष्टि हेतु और चालू वर्ष के अनुसार तुलनात्मक बनाने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 008079N

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
पंकज महाजन	विजय कुमार	नमिता मेहरोत्रा	विनय कुमार सिंह
पार्टनर	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) – सीएफओ	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या: 091876	एम. सं. F7801	डीआईएनः 07916304	डीआईएनः 06497700
यूडीआईएनः 20091876AAAAAI2820			

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार शेष	1,00.0	1,00,00.0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी निर्गम	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार शेष	1,00.0	1,00,00.0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी निर्गम	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार शेष	1,00.0	1,00,00.0

ख. अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार शेष	-	-	**14,64.94**	**14,64.94**
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटिया	-	-	26.35	26.35
1 अप्रैल, 2018 को पुनर्कथित शेष	-	-	**14,38.59**	**14,38.59**
वर्ष का लाभ	-	-	2,79.03	2,79.03
वर्ष की अन्य व्यापक आय (निवल आयकर)	-	-	(3.06)	(3.06)
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	**2,75.97**	**2,75.97**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त / पुनर्वर्गीकृत राशि	-	2,71,00.00	-	2,71,00.00
लाभांश का भुगतान	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष		**2,71,00.00**	**17,14.56**	**2,88,14.56**
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2019 को पुनर्कथित शेष	-	**2,71,00.00**	**17,14.56**	**2,88,14.56**
वर्ष का लाभ	-	-	26,84.76	26,84.76
वर्ष की अन्य व्यापक आय (निवल आयकर)	-	-	16.34	16.34
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	**27,01.10**	**27,01.10**

जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त/ पुनर्वर्गीकृत राशि		-	3,90,25.00	-	**3,90,25.00**
लाभांश का भुगतान		-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष		**-**	**6,61,25.00**	**44,15.66**	**7,05,40.66**

हमारी संलग्न समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 008079N

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
पंकज महाजन	विजय कुमार	नमिता मेहरोत्रा	विनय कुमार सिंह
पार्टनर	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) –	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या: 091876	एम. सं. F7801	सीएफओ	डीआईएन: 06497700
यूडीआईएन: 20091876AAAAAI2820		डीआईएन: 07916304	

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2020

गतिविधियों की एक झलक

एमडी द्वारा साईट निरीक्षण

कोविड जागरूकता अभियान

निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा

स्वच्छता दिवस

गतिविधियों की एक झलक

श्रमिक जागरूकता अभियान

ईएचटी लाइनों का स्थानांतरण और संशोधन

नुक्कड़ नाटक – कोविड जागरूकता अभियान

योग दिवस

वित्तीय वक्तव्यों पर टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है (U60200DL2013GOI256716) और इसे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 21 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों को आरामदायक और द्रुत यात्रा प्रदान करने और परिवहन मांग में उच्च संवृद्धि को पूरा करने के लिए एनसीआर में क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) डिजाइन करने, विकसित करने, क्रियान्वित करने, वित्त पोषण करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने के उद्देश्य से अधिनिगमित किया गया था।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 7/6, सीरी फोर्ट इंस्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049 पर स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश

2.01 तैयार करने का आधार

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) कंपनी 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है, जिसे समय– समय पर संशोधित किया जाता है।

2.02 मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को, कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं और परिभाषित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ, जिन्हें प्रासंगिक IndAS द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है, ऐतिहासिक रीति और एक उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है।

2.03 आकलनों और विवेक का प्रयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन और धारणाओं की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण की संसूचित राशियों और आय तथा व्यय की संसूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित धारणाओं की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इन आकलनों में परिवर्तनों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम तथा आकलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/ प्रकट होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचना, लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग में अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय जिनका वित्तीय विवरणों में दिखायी गयी राशि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार हैं:

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:** उपयोगी आयु और अवशिष्ट मूल्यों की मूल्य–ह्रास विधि से समय–समय पर समीक्षा की जाती है। ये आयु ऐतिहासिक अनुभवों के साथ साथ भविष्यगत घटनाओं के पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं।

- **प्रावधान:** प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को दायित्वों के निपटान के आकलन के आधार पर किया जाता है।

- **आकस्मिक देयताएं/ परिसंपत्तियां:** आकस्मिक देयताओं/ परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है, जिनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलन को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

- **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति परीक्षण:** पीपीई की वसूली योग्य राशि का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों की धारणाओं के निर्णय के आधार पर किया जाता है।

- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता:** आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भावी कर–योग्य आय की संभाव्यता के मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसके सापेक्ष आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।

- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्व:** कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक धारणाओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु और प्रत्याहार दर के साथ बट्टा दरों, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर में भावी प्रगति से संबंधित धारणाएं सम्मिलित होती हैं। कंपनी मानती है कि इसके दायित्वों के मापन के लिए प्रयुक्त धारणाएं उपयुक्त और प्रलेखित हैं। किन्तु, इन धारणाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से परिणामी परिकलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- **पट्टे:** किसी अनुबंध में पट्टे के होने या न होने का निर्णय कंपनी अपने विवेक से करती है, पट्टे के अनुबंध में पट्टे के विस्तार अथवा समाप्ति का विकल्प, प्रबंधन की आगे जारी रखने अथवा इसे समाप्त करने की आशा पर आधारित होता है। साथ ही, कम्पनी, पट्टे के प्रयोग और पट्टे की अवधि और शर्तों के लिए यथोचित बट्टा दरों की गणना हेतु आकलन का प्रयोग करती है।

2.04 सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को लाख के निकटतम अंको पर पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा कथित न हो।

2.05 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा संसूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकदी प्रकृति के व्यवहार के प्रभावों और भूत या भविष्य में नकद प्राप्तियों या भुगतान विलंबन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त नकद को कंपनी द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में रोकड़ शेष, बैंकों में नकदी जमा और बैंकों में मांग जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट की शुद्ध मांग पर प्रतिदेय है जिसे कंपनी के नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, सम्मलित है।

2.06 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में सम्मलित मदों को मुख्य आर्थिक परिवेश की मुद्रा के प्रयोग द्वारा मापा जाता है जिसमें वह कंपनी संचालन करती है (कार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय वक्तव्य भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कार्यात्मक होने के साथ साथ कंपनी की प्रस्तुति मुद्रा भी है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में होने वाले व्यवहारों को व्यवहार के समय प्रचलित विनिमय दर पर संसूचित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं के मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन समय की विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्य ह्रास और क्षतिपूर्ण हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर मापा जाता है।

परिसंपत्तियों की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं:

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रत्यक्ष लागत

ii. वस्तुओं को अलग–अलग करके एवं हटाने और फिर उसी स्थान, जिस पर वह अवस्थित है, पर पुनर्स्थापित करने के अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि मान्यता मापदंड पूरे किए गए हैं।

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण पुर्जो की मरम्मत की लागतों को पूंजीकृत किया जाता हो यदि मान्यता मानदंड पूरे किए गए हैं।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर, अथवा जब उस परिसंपत्ति के निरंतर प्रयोग द्वारा किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं होती, तब उसे हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान या परित्याग से उत्पन्न होने वाले किस भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण के रूप में दर्शाया जाता है।

मूल्य ह्रास

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्य ह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथा विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है जबकि, (i) कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास 4 वर्षो की अवधि में होता है।

ख) 50,00/– रुपए या इससे कम मूल्य की राशि पर अर्जित निजी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास वाणिज्यिक आयु को ध्यान में रखते हुए खरीद के वर्ष में 100% किया जाता है और पहचान के उद्देश्य के लिए टोकन मूल्य 1 रुपए रखा जाता है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्य ह्रास अलग–अलग किया जाता है यदि भाग की लागत मद की कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है और उस भाग की उपयोग आयु शेष संपत्ति की उपयोगी आयु से भिन्न है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण मदों की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु निम्नलिखित है:

परिसंपत्तिया	उपयोगी आयु
संयंत्र और मशीनरी	15
कंप्यूटर	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर जुड़नार	10
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध कराई गई परिसंपत्तियां	4

घ) पट्टाधृत सुधारों को पट्टे की अवधि के दौरान उस महीने से, जब ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया गया था, परिशोधित किया जाता है।

ङ) मूल्य ह्रास पद्धतियों, उपयोग आयु और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की जाती है।

2.08 अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त संपत्ति को मान्यता तब प्रदान की जाती है जब ऐसी कोई संभावना हो कि परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसीनयता पूर्वक मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए ऐतिहासिक लागत में से संचित परिशोधन और क्षति हानि, यदि हो तो, उसे घटाया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके क्रमिक अनुमानित उपयोगी आयु पर उस तिथि से सरल–रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु निम्नलिखित है:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोग आयु	आंतरिक रूप से अथवा स्वयं द्वारा उत्पन्न /अर्जित
सॉफ्टवेयर	3	अर्जित

परिशोधन पद्धतियों, उपयोग आयु और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की जाती है।

2.09 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

कंपनी द्वारा लिए गए प्रोजेक्ट में सीधे रूप से होने वाले व्यय को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के अंतर्गत "प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य" के नामे (डेबिट) किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ जैसे अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से सीधे रूप से जुड़ें अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना पर प्रभारित किया जाता है। परियोजना और परियोजना के अतिरिक्त अन्यत्र होने वाले अन्य अप्रत्यक्ष व्यय को पृथक परियोजना कोरिडोर पर लगने वाले प्रयासों और अन्य आवश्यक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के

आधार पर परियोजना पर आनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है।

निर्माण अवधि के दौरान होने वाली आय जैसे उधार लिए गए धन पर अर्जित ब्याज द्वारा आय, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान व्यय में समायोजित किया जाता है।

2.10 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि

परिसंपत्तियों पर हानि संबंधी भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS-36 के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों पर वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि हानि के संकेत जानने के लिए की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तब परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर प्राप्त मूल्य और उपयोग मूल्य में से उच्चतर मूल्य लेकर किया जाता है। लाभ हानि वक्तव्य में हानि लागत को मान्यता तब दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। वसूली योग्य राशि के आकलन में परिवर्तन होने और ऐसी हानियों के अब उपस्थित नहीं होने अथवा घट जाने पर पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि को उलट दिया जाता है। उलटे हुए हानि को लाभ हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.11 अ) राजस्व मान्यता

i. राजस्व की मान्यता उस सीमा तक होती है जब कंपनी को आर्थिक लाभ होने की संभावना हो और राजस्व को विश्वसीनयता पूर्वक मापा जा सके। किन्तु, जब राजस्व में पहले से ही सम्मिलित की गयी धनराशि की वसूली के संबंध में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, तब वह अवसूलीयोग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गयी है, पहले से ही राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में मान्यता ग्रहण करती है।

ii. ग्राहकों के अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता मिलती है जब माल अथवा सेवाओं का नियंत्रण किसी मूल्य पर ग्राहक को हस्तांतरित हो जाता है जो प्रतिफल के रूप में होता है जिसका अधिकार कंपनी को माल अथवा सेवाओं के बदले लेने का होता है।

iii. राजस्व की माप प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य से होती है।

(ब) अन्य राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को एक समय अनुपात के आधार पर बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

ii. लाभांश को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और इस राशि को विश्वसनीयता पूर्वक मापा जा सकता है।

2.12 सेवानिवृत्ति हितलाभ

(अ) इस अवधि के लिए भविष्य निधि में अंशदान का भुगतान नियमित रूप से किया गया है। उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय लाभ, बीमारी का अवकाश, अर्जित अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत के प्रति कंपनी की बाध्यता को बीमांकिक आधार पर निर्धारित किया गया है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

(ब) पुनः मापन में बीमांकिक लाभ और हानि सम्मिलित हैं, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव, परिभाषित हितलाभ देयता के शुद्ध ब्याज में सम्मलित राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर लाभ (शुद्ध परिभाषित हितलाभ देयता के शुद्ध ब्याज में सम्मलित राशियों को छोड़कर) को उस अवधि में, जब वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत मान्य हो जाते हैं। बाद की अवधि के लिए लाभ और हानि में पुनः मापन को पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

(स) विदेशी सेवा योगदान के प्रति प्रावधान/ देयताओं का निर्धारण कर्मचारियों के मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं तथा लाभ और हानि खाते को प्रभारित किए जाते हैं।

2.13 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से ली जाने वाली सामान्य और विशिष्ट उधार की लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के अंश के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक परिसंपत्तियां उनके आशयित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होते हैं।

अर्हककारी परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय अवधि की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधार लागतों को लाभ हानि वक्तव्य में उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिसमें उनका वहन किया जाता है।

2.14 आयकर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर निर्धारण, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय और कर क्रेडिट की गणना के आधार पर होता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर देयताएं तब बराबर हो जाती हैं जब मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं का निपटान करने का आशय होता है।

ओसीआई मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दिखाया जाता है।

(ख) आस्थगित कर

इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक (Ind AS) "आयकर" के अनुसार

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर के लिए दर्शाया जाता है जिसकी संगणना कर की दरों और कर कानूनों के प्रयोग द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रतिवेदन तिथि को अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया जाता है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अग्रेणित अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का प्रयोग किया जा सकता है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं तब बराबर हो जाती हैं जब वर्तमान कर निरूपण करने वाली देयताओं के बदले में परिसंपत्तियों का प्रतिविरुपण करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं समान शासित कराधान कानूनों द्वारा आय पर लगाए गए कर से संबंधित है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उन कर की दरों और कर कानूनों के प्रयोग द्वारा होता है जिन्हें तुलन पत्र तिथि के दिन अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह समूह गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का, यदि कोई हो, पुनः मूल्यांकन करता है।

v. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक घटा दी जाती है जिस सीमा तक आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के पूरे अथवा अंश का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना नहीं बची है।

vi. ओसीआई मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दिखाया जाता है।

2.15 निवेश संपत्तियां

क) निवेश संपत्तियों में पूर्ण रूप से निर्मित संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति, और वित्तक पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति, जो व्यापार के सामान्य क्रम में बिक्री अथवा उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के स्थान पर, किराया अर्जित करने अथवा पूंजी अधिमूल्यन अथवा दोनों के लिए धारित की गयी हैं, सम्मिलित हैं।

ख) निवेश संपत्तियों को संचित मूल्य ह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, की शुद्ध लागत पर दिखाया जाता है।

ग) कंपनी, निवेश संपत्ति के प्रत्येक घटक का उसकी मूल खरीद की तिथि से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में वर्णित आयु पर मूल्य ह्रास करती है।

घ) निवेश संपत्तियों को तब अमान्य कर दिया जाता है जब या तो उनका निपटान हो जाता है या जब उनको स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता

है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं रहती। शुद्ध निपटान आगम और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर को मान्य करने की अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

2.16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को देयताओं के संबंध में मान्यता दी जाती है जिनका मापन केवल पर्याप्त स्तर के अनुमानों द्वारा ही लगाया जा सकता है जबः

i. किसी पूर्व की घटना के परिणाम स्वरूप कंपनी का वर्तमान में कोई दायित्व होता है।

ii. दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्गमन की आवश्यकता होगी; और

iii. दायित्व की राशि को विश्वसनीयता पूर्वक अनुमानित किया जा सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले के लिए किया जाता हैः

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व, जब यह संभाव्य नहीं हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी; अथवा

ii. दायित्व की राशि को विश्वसनीयता पूर्वक अनुमानित नहीं किया जा सकता है; अथवा

iii. कोई संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्गमन की संभावना क्षीण न हो।

आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक आकस्मिक देयता और प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना होती है।

2.17 पट्टे

एमसीए द्वारा पट्टों को दिनांक 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखा मानक Ind AS 116 द्वारा अधिसूचित किया गया था। पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए मानकों द्वारा अतिरिक्त/ नए सिद्धांत बना दिया गए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS 116 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टेदार और पट्टाकर्ता प्रासंगिक सूचनाएं इस प्रकार से दें जिससे उनके व्यवहारों का विश्वसनीय तरीके से पता चल सके। पट्टों के नए मानक सभी इकाईयों पर प्रयोज्य हैं और भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS के अंतर्गत सभी वर्तमान पट्टों की मान्यता संबंधी आवश्यकताओं का स्थान लेते हैं।

(क) पट्टेदार के रूप में

(i) पट्टे के आरंभ होने की तिथि पर कंपनी परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता देती है। परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में जिस लागत पर मापा जाता है उसे प्राप्त करने के लिए पट्टा देयता के आरंभिक मूल्य, जिसे पट्टा आरंभ होने के तिथि पर अथवा उसके पहले किन्ही पट्टा भुगतानों द्वारा समायोजित किया गया हो, में व्ययित आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को विघटित करने और हटाने अथवा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अथवा जिस स्थल पर वह स्थित है, उसे पुनर्स्थापित करने की लागतों के अनुमान को जोड़कर पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को घटा दिया जाता है।

(ii) परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास बाद में सरल रेखा विधि द्वारा पट्टा प्रारंभ होने की तिथि से लेकर, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उपयोगी आयु की समाप्ति अथवा पट्टे की समय अवधि की समाप्ति, जो पहले हो, तक किया जाता है। परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उपयोगी आयु का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए होता है। साथ ही, परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार, समय–समय पर हानि के कारण, यदि कोई हो, कम होता जाता है और पट्टा देयता के कतिपय पुनः मापन के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

(iii) पट्टा देयता को आरंभ में उन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान आरंभ होने की तिथि पर नहीं किया गया है, पट्टे में निहित ब्याज की दर से बट्टा लगाया जाता है, अथवा यदि उस दर को सरलता से निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब कंपनी की वृद्धिशील उधार की दर को लिया जाता है।

(iv) पट्टा देयता का मापन परिशोधित लागत पर प्रभावी ब्याज विधि द्वारा किया जाता है, इसे पुनः मापा जाता है जब किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के कारण भविष्यगत पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब पट्टा देयता को इस प्रकार मापा जाता है, तब संपत्ति के प्रयोग के अधिकार के वहन मूल्य में एक संगत समायोजन किया जाता है, अथवा इसे लाभ और हानि में अभिलिखित कर दिया जाता है यदि संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का वहन मूल्य घटकर शून्य हो गया है।

(v) कंपनी संपत्ति के प्रयोग के अधिकार को प्रस्तुत करती है जो तुलन पत्र में "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" में निवेश संपत्ति और "अन्य वित्तीय देयताओं" में पट्टा देयता की परिभाषा पूरी नहीं करते।

(vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टेः– कंपनी ने कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों और अल्पावधि पट्टों जिनकी पट्टे की अवधि 12 महीने अथवा उससे कम है, के लिए पट्टा देयताओं और परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया है। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टे भुगतानों को पट्टों की अवधि के ऊपर सरल–रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(ख) पट्टाकर्ता के रूप में

जब कंपनी पट्टाकर्ता की भूमिका में होती है, तब पट्टा आरंभ होने से पहले यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्तीय पट्टा है अथवा प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी कुल मिलाकर एक मूल्यांकन करती है कि क्या अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े हुए सभी जोखिम और प्रतिफल पर्याप्त रूप से पट्टे द्वारा हस्तांतरित हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तब यह पट्टा एक वित्तीय पट्टा है, यदि नहीं है तब यह एक प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी कुछ सूचकों पर विचार करती है जैसे, क्या यह पट्टा परिसंपत्ति की आर्थिक आयु के विस्तृत भाग के लिए है।

कंपनी "अन्य आय" के रूप में पट्टे की अवधि के ऊपर प्रचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त हुए पट्टे के भुगतानों को सरल–रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है। (टिप्पणी 41 देखें)

2.18 अनुदान

परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हें बाद में उन परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास के अनुपात में प्रासंगिक परिसंपत्तियों की आयु पर प्रत्येक वर्ष आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना इक्विटी शेयर धारकों को रोप्य अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से विभाजन द्वारा की जाती है। प्रति शेयर विलयित आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयर धारकों के लिए देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान किए गए/देय लाभांश को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लाभांश को शेयर धारकों अथवा निदेशक मंडल, जैसा उपयुक्त हो, द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.21 उचित मूल्य मापन

i. कंपनी द्वारा कुछ वित्तीय लिखत को प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ii. उचित मूल्य, वह मूल्य है जिसको किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा अथवा मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी व्यवस्थित व्यवहार में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है परिसंपत्ति को बेचने अथवा देयता को हस्तांतरित करने के लिए व्यवहार या तोः

- परिसंपत्ति अथवा देयता के मुख्य बाजार में होता है, अथवा
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति अथवा देयता केलिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में होता है।

मुख्य बाजार अथवा सबसे अधिक लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसम्पत्ति या देयता का उचित मूल्य उन अनुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति अथवा देयता का मूल्य निर्धारित करते समय, यह मानते हुए उपयोग करेंगे कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, संगत विचार योग्य इनपुट का उपयोग अधिकतम करते हैं और गैर–विचार योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम करते हैं।

2.22 वित्तीय लिखत :–

i. प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे तौर पर देय लेन–देन लागत (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अतिरिक्त) को वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है अथवा उससे कटौती की जाती है।

ii. इसके बाद का मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी व्यवसाय के अंतर्गत धारित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्ति करने के लिए इन परिसम्पत्तियों को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो पूरी तरह से केवल बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का भुगतान होता है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय के अंतर्गत धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह की वसूली कर और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेच कर हासिल किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो पूरी तरह से केवल बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का भुगतान होता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे प्रारंभिक लागत पर या प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के कारण व्यवहार की लागत सीधे लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को निम्न प्रकार से वगीकृत किया गया है:

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देयों, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन आदि द्वारा निरुपित परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर वहन किया जाता है।

ख. लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय देयताऐ

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय देयताओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

iii. अमान्यकरण

वित्तीय परिसम्पत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का कोई भाग अथवा इसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का भाग) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब उस परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसंपत्ति और परिसंपत्ति के मूलतः सभी जोखिमों और प्रतिफल को हस्तांतरित कर देता है।

वित्तीय देयता

किसी वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब उस देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता के दूसरी देयता पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा किसी मौजूदा देयता की शर्तों को पर्याप्त रूप से संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा उपांतरण को मूल देयता के अमान्यकरण के रूप में और नयी देयता के रूप में माना जाता है, और संबंधित वहन राशियों में अंतर लाभ अथवा हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

iv. वित्तीय परिसम्पत्ति पर हानि:

कंपनी हानि के मापन और मान्यता के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान का अनुप्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग से कंपनी के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन का पता लगाने की आवश्यकता नही होती है। अपितु, यह प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर जीवन पर्यंत ईसीएल पर आधारित हानि, हानि भत्ते को मान्यता देता है।

कंपनी परिशोधित लागत पर वहन की गयी इसकी परिसंपत्तियों और एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों से संबद्ध प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का प्रगतिशील आधार पर निर्धारण करती है। हानि विधि का अनुप्रयोग क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर निर्भर करता है। किसी अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि (या विपर्यय) को लाभ और हानि के विवरण में आय / व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

2.23 गैर–चालू परिसम्पत्तियों को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली मुख्य रूप से किसी बिक्री व्यवहार के माध्यम से की जाती है और बिक्री काफी संभाव्य मानी जाती है। बिक्री को काफी संभाव्य तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह इसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, इसकी संभावना बहुत कम है कि बिक्री वापिस ले ली जाएगी और बिक्री इस वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित हो। निपटान समूह को, जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, वहन मूल्य और उचित मूल्य से इकरी मूल्य घटाई गयी राशि में से निम्नतर पर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं को वित्तीय स्थिति के वक्तव्य में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS-105 "बिक्री और बंद प्रचालन के रूप में धारित गैर चालू परिसंपत्तियों" के मापदंडों को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है तो निपटान समूह का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। गैर चालू परिसंपत्ति जिसका वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में समाप्त हो जाता है, का मापन (i) परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की इसकी वहन राशि, जिसे उस मूल्यह्रास से समायोजित किया गया हो, जिसे तब मान्यता मिलती जब उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण समाप्त हो जाता है, के निम्नतर स्तर पर मापा जाता है।

2.24 तुलन पत्र तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाए

तुलन पत्र तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं पर भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS-10 (तुलन पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं) के अनुसार वित्तीयविवरणोंको तैयार करने में विचार किया जाता है।

2.25 उन लेखा नीतियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। जब इस प्रकार की लेखाकरण नीतियां प्रासंगिक हो जाती हैं, तो उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

टिप्पणी 3

संपत्ति,संयंत्र और उपकरण

(रुपये लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	पट्टाधृत भूमि	डीपी परिसंपत्तियां	पट्टाधृत सुधार	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं जुड़नार	कुल
सकल वहन राशि							
1 अप्रैल 2018 को	-	-	58.20	6,46.89	1,44.21	1,49.08	9,98.38
परिवर्धन	-	-	45.33	77.36	48.93	49.66	2,21.28
निपटान / समायोजन	-	-	(2.09)	(62.03)	-	-	(64.12)
31 मार्च 2019 को	**-**	**-**	**1,01.44**	**6,62.22**	**1,93.14**	**1,98.74**	**11,55.54**
परिवर्धन	1,86.58	1,69,97.69	1,16.39	3,90.89	1,34.11	1,07.10	1,79,32.76
निपटान / समायोजन	-	-	(3.10)	-	(0.45)	(1.00)	(4.55)
31 मार्च 2020 को	**1,86.58**	**1,69,97.69**	**2,14.73**	**10,53.11**	**3,26.80**	**3,04.84**	**1,90,83.75**
संचित मूल्य ह्रास और हानि							
1 अप्रैल 2018	**-**	**-**	**15.16**	**66.30**	**22.39**	**10.84**	**1,14.69**
वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभार	-	-	24.92	1,89.79	33.65	21.20	2,69.56
निपटान / समायोजन	-	-	(0.77)	-	-	-	(0.77)
31 मार्च 2019 को	**-**	**-**	**39.31**	**2,56.09**	**56.04**	**32.04**	**3,83.48**
वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभार	-	-	45.57	2,87.08	46.70	23.98	4,03.33
निपटान / समायोजन	-	-	(1.68)	-	(0.28)	(0.54)	(2.50)
31 मार्च 2020 को	**-**	**-**	**83.20**	**5,43.17**	**1,02.46**	**55.48**	**7,84.31**
शुद्ध वहन मूल्य							
31 मार्च 2020 को	**1,86.58**	**1,69,97.69**	**1,31.53**	**5,09.94**	**2,24.34**	**2,49.36**	**1,82,99.44**
31 मार्च 2019 को	-	-	**62.13**	**4,06.13**	**1,37.10**	**1,66.70**	**7,72.06**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

i. हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लंबित, खिचड़ीपुर, दिल्ली स्थित 1,86.58 लाख रुपए की लागत वाली 1588.54 वर्ग मीटर भूमि को पूंजीकृत कर दिया गया है और शीर्ष 'पूर्ण स्वामित्व की भूमि' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ii. पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित, जंगपुरा, दिल्ली स्थित 1,69,97.69 लाख रुपए की लागत वाली 12 हेक्टेयर भूमि को पूंजीकृत कर दिया गया है और शीर्ष 'पट्टाधृत भूमि' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी 4

परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार

(रुपये लाख में)

विवरण	भवन	भूमि	कुल
सकल वहन राशि			
1 अप्रैल 2018 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को	-	-	-
भा.ले.मा.–116 के अवस्थांतर पर समायोजन	36.89	7,91.01	8,27.90
परिवर्धन			
निपटान / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 का	**36.89**	**7,91.01**	**8,27.90**
संचित मूल्य ह्रास और हानि			
1 अप्रैल 2018 को	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभार	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को	-	-	-
भा.ले.मा.–116 के अनुसार प्रभाव वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभार	7.43	3,25.76	3,33.19
निपटान / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 को	**7.43**	**3,25.76**	**3,33.19**
शुद्ध वहन मूल्य			
31 मार्च 2020 का	**29.46**	**4,65.25**	**4,94.71**
31 मार्च 2019 को	-	-	-

टिप्पणी 5

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(रुपये लाख में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष	21,03.50
परिवर्धन (बाद के व्यय)	1,06,11.92
समायोजन (पूंजीकृत)	(26.35)
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**1,26,89.07**
परिवर्धन (बाद के व्यय)	4,52,47.15
समायोजन (पूंजीकृत)	-
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**5,79,36.22**

टिप्पणी 5.1

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	01.04. 2018 को	परिवर्धन	समायोजन (पूंजीकृत)	31.3. 2019 को	परिवर्धन	समायोजन (पूंजीकृत)	31.3.2020 को
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य – अन्य (गैर परियोजना)							
पट्टाधृत सुधार	-	-	-	-	37.75	-	37.75
योग	-	-	-	-	**37.75**	-	**37.75**
ख) परियोजना व्यय							
स्थायी मार्ग	-	3,36.07	-	3,36.07	3,61.05	-	6,97.12
चल स्टॉक	-	90.00	-	90.00	2,70.00	-	3,60.00
वायाडक्ट, ब्रिज, टनल, कलवर्ट बंडर	-	26.65	-	26.65	1,03,75.45	-	1,04,02.10
सिग्नलिंग और टेलिकॉम उपकरण	-	-	-	-	4.07	-	4.07
सुरक्षा उपकरण	-	0.81	-	0.81	2.18	-	2.99
जीएसटी पूंजीकृत	1,29.51	21,68.81	-	22,98.32	65,59.49	-	88,57.81
निर्माण के दौरान व्यय (शुद्ध)	5,49.00	34,36.47	-	39,85.47	1,95,19.65	-	2,35,05.12
निर्माण के दौरान अनुषांगिक व्यय (टिप्पणी सं. 5.2 देखें)	14,24.99	45,53.11	(26.35)	59,51.75	81,17.51	-	1,40,69.26
योग	**21,03.50**	**1,06,11.92**	**(26.35)**	**1,26,89.07**	**4,52,09.40**	-	**5,78,98.47**
सम्पूर्ण योग	**21,03.50**	**1,06,11.92**	**(26.35)**	**1,26,89.07**	**4,52,47.15**	-	**5,79,36.22**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

i. 17 ट्रांसमिशन लाइनों (यूटिलिटी शिफ्टिंग का हिस्सा) को लगाने और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में मानने से, उ.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ अंतिम निपटान लंबित होने के कारण निर्माण के दौरान व्यय में 64,30.22 लाख रुपए सम्मिलित हैं।

ii. प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में 65,59.49 लाख रुपए (21,68.81 लाख रुपए) के भुगतान द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार, परियोजना से संबंधित व्यय को अयोग्य जीएसटी क्रेडिट प्रदर्शित करते हुए जीएसटी को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया है। कॉरिडोर के वित्तीय प्रतिमान और 7 मार्च 2019 के स्वीकृति पत्र के आधार पर जीएसटी को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क और जीएसटी) को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गौण ऋण के रूप में निधिकृत किया जाना है। साथ ही, कंपनी ने करों के लिए गौण ऋणों के रूप में 99,00.00 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है जिसमें से जीएसटी से संबंधित 88,57.81 लाख रुपयों का व्यय 31 मार्च 2020 तक किया जा चुका है

टिप्पणी 5.2

निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण

टिप्पणी 5.2.1 मूल्य ह्रास और परिशोधन लागते

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास	3,78.09	2,66.83
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर मूल्य ह्रास	3,03.41	-
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	63.25	2.52
उप–योग (क)	**7,44.75**	**2,69.35**

टिप्पणी 5.2.2 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन,मजदूरी और बोनस	29,05.32	14,11.24
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,79.57	65.05
उप–योग (ख)	**30,84.89**	**14,76.29**

टिप्पणी 5.2.3 वित्तीय लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	56.69	-
उप–योग (ग)	**56.69**	**-**

टिप्पणी 5.2.4 अन्य व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय किराया	1,09.53	2,78.24
शुल्क, दरें एवं कर	0.25	1.38
मरम्मत अनुरक्षण दृ मशीनरी और अन्य	46.14	7.88
बिजली एवं ईंधन	80.17	41.97
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	5,00.87	2,40.71
यात्रा व्यय	2,12.61	1,99.15
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	88.29	1,88.16
तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	14,68.50	4,98.94
परामर्श प्रभार	5,93.95	6,50.99
सुरक्षा सेवाएं	1,19.41	39.88
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	77.38	10.22
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	87.95	50.51

संचार एवं इंटरनेट व्यय	77.66	30.36
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	7.81	6.32
बैठक एवं सम्मलेन	48.21	2,92.70
विज्ञापन एवं प्रचार–अन्य	6.59	15.15
विज्ञापन एवं प्रचार–निविदा	1,85.87	54.27
आउटसोर्सिंग व्यय	353.41	1,68.22
हाउसकीपिंग व्यय	15.72	9.78
विविध व्यय	79.75	6.51
सॉफ्टवेयर व्यय	67.99	16.13
मशीनरी का किराया	3.12	-
उप–योग (घ)	**42,31.18**	**28,07.47**
प्रासंगिक व्यय का सकल योग (क + ख + ग + घ)	**81,17.51**	**45,53.11**

टिप्पणी 6

अमूर्त परिसंपत्तिया

(रुपये लाख में)

विवरण	भूमि अधिकार	सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	-	**4.40**	**4.40**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	4.42	4.42
समायोजन		-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	-	**8.82**	**8.82**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	16,24.49	83.93	17,08.42
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**16,24.49**	**92.75**	**17,17.24**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	-	**1.60**	**1.60**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	2.52	2.52
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	-	**4.12**	**4.12**
वर्ष के दौरान परिशोधन	29.93	35.46	65.39
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**29.93**	**39.58**	**69.51**
शुद्ध वहन मूल्य			
31 मार्च 2020 को	**15,94.56**	**53.17**	**16,47.73**
31 मार्च 2019 को	-	**4.70**	**4.70**

टिप्पणी 7

वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर चालू

7.1 ऋण / प्रतिभूति जमा

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया है प्रतिभूति जमा – किराया	61.58	54.46
अन्य प्रतिभूति जमा	10.83	-
योग	**72.41**	**54.46**

टिप्पणी 8

आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (देयताएं)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अ. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2.68	-
आस्थगित कर देयताओं का कुल	**2.68**	-
ब. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,27.25	3.71
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	-	2.81
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का कुल	**1,27.25**	**6.52**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/(देयताएं) शुद्ध	**1,24.57**	**6.52**

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों / (देयताओं) मे गतिविधि

(रुपये लाख में)

विवरण	प्रावधान	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष	**1.63**	**1.06**	**2.69**
वर्ष 2018–19 के दौरान (प्रभारित)/आकलित			
लाभ एवं हानि के लिए	-	2.65	2.65
अन्य व्यापक आय के लिए	1.18	-	1.18
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**2.81**	**3.71**	**6.52**
वर्ष 2019–20 के दौरान (प्रभारित)/ आकलित			
लाभ एवं हानि के लिए	-	1,23.54	1,23.54
अन्य व्यापक आय के लिए	(5.49)	-	(5.49)
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**(2.68)**	**1,27.25**	**1,24.57**

टिप्पणी 9

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अ) पूंजीगत अग्रिम	2,06,20.49	1,24,83.92
ब) उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा'	1.75	5.30
योग	**2,06,22.24**	**1,24,89.22**

*यह प्रतिभूति जमा के व्यवहार मूल्य और उचित मूल्य के अंतर के अपरिशोधित भाग को दर्शाता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

17 ट्रांसमिशन लाइनों (यूटिलिटी शिफ्टिंग का हिस्सा) को लगाने और प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के रूप में मानने से, उ.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ अंतिम निपटान लंबित होने के कारण, पूंजी अग्रिम में से 64,30.22 लाख रुपए की राशि कम हो गयी है।

टिप्पणी 10

वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू

टिप्पणी 10.1 नकद और नकद समतुल्य

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
हाथ में नकदी	-	-
हस्तगत चेक / ड्राफ्ट	-	-
बैंकों में जमा शेष:		
– चालू खाते में	2.08	0.60
– फ्लेक्सी जमा में	2,87,61.96	1,54,74.69
– अग्रदाय में	4.59	1.56
3 माह अथवा कम अवधि की सावधि जमा	1,31,86.09	2,32,54.97
योग	**4,19,54.72**	**3,87,31.82**

टिप्पणी 10.2 नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
3 माह से अधिक और 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	6,89,35.59	1,19,00.00
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा*	5,01.04	0.76
योग	**6,94,36.63**	**1,19,00.76**

*दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली के लिए 500.00 लाख रुपए (शून्य); सामाजिक वानिकी खंड, उ.प्र. के लिए 0.84 लाख रुपए (0.76 लाख रुपए) और अधिशासी अभियंता, नगर निगम, गाज़ियाबाद के लिए 0.20 लाख रुपए (शून्य) जमा किए।

टिप्पणी 10.3 ऋण/ प्रतिभूति जमा

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया है		
प्रतिभूति जमा–पट्टा किराया स्टाफ	4.26	1.26
अन्य प्रतिभूति जमा	43.72	0.98
योग	**47.98**	**2.24**

टिप्पणी 10.4 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज*	12,30.48	1,42.27
एएमडीए से वसूली–योग्य	1.17	8.03
एमओएचयूए से वसूली–योग्य	1,60.11	-
अन्य वसूली–योग्य राशियां	1,13.67	1.45
योग	**15,05.43**	**1,51.75**

*सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज में सम्मलित 20.92 लाख रुपए (रुपए 0.03 लाख) सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार के रूप में।

टिप्पणी 11

चालू कर परिसंपत्तिया

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम कर और टीडीएस	11,25.96	2,65.80
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	(10,89.58)	(2,06.84)
अग्रिम कर और टीडीएस (प्रावधानों का शुद्ध)	36.38	58.96
अपील के लिए जमा	-	1.23
योग	**36.38**	**60.19**

*यह सुरक्षा मूल्य के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के असंबद्ध हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 12

अन्य चालू परिसंपत्तिया

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम		
कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	0.12	0.04
अन्य अग्रिम	0.59	7.82
उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा*	3.92	3.73
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	14.59	14.05
पूर्व भुगतान व्यय	14.92	21.16
योग	**34.14**	**46.80**

*यह प्रतिभूति जमा के व्यवहार मूल्य और उचित मूल्य के अंतर के अपरिशोधित भाग को निरुपित करता है।

टिप्पणी 13

इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपए के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 को 100 रुपए के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)	1,00,00.00	1,00,00.00
जारी/ अभिदत्त और चुकता पूंजी		
100 रुपए के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 को 100 रुपए के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)	1,00,00.00	1,00,00.00
योग	**1,00,00.00**	**1,00,00.00**

टिप्पणी 13.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
जारी/ अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के प्रारंभ में बकाया थी	1,00.00	1,00,00.00	1,00.00	1,00,00.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर (बोनस)			-	-
जारी/ अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के प्रारंभ में बकाया थी	1,00.00	1,00,00.00	1,00.00	1,00,00.00

टिप्पणी 13.2

शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

इक्विटी शेयरः कंपनी के पास एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सम मूल्य 100 रुपए प्रति शेयर है. प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है. परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक, सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को अपनी शेयर धारिता के अनुपात में प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

टिप्पणी 13.3

कंपनी के कुल शेयरों का 5% से अधिक हिस्सा धारित करने वाले शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति				
– आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से	2,25,00,00	22.50%	2,25,00,00	22.50%
– रेल मंत्रालय के माध्यम से	2,25,00,00	22.50%	2,25,00,00	22.50%
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	50,00,00	5.00%	50,00,00	5.00%
राज्य सरकार				
दिल्ली की एनसीटी की सरकार	1,25,00,00	12.50%	1,25,00,00	12.50%
हरियाणा सरकार	1,25,00,00	12.50%	1,25,00,00	12.50%
राजस्थान सरकार	1,25,00,00	12.50%	1,25,00,00	12.50%
उत्तर प्रदेश सरकार	1,25,00,00	12.50%	1,25,00,00	12.50%
योग	**10,00,00,00**	**100.00%**	**10,00,00,00**	**100.00%**

टिप्पणी 13.4

प्रतिवेदन तिथि के ठीक पहले चार वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के माध्यम से पूर्णतः चुकता के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

(संख्या लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-

टिप्पणी 14

अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अ. प्रतिधारित अर्जन	44,15.66	17,14.56
ब. आस्थगित आय	6,61,25.00	2,71,00.00
योग	**7,05,40.66**	**2,88,14.56**

प्रतिधारित अर्जन कंपनी का अवितरित लाभ है।

टिप्पणी 14.1 प्रतिधारित अर्जन

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रारंभिक शेष	17,14.56	14,64.94
घटाएं: पिछले वर्ष में किए गए पूंजीगत व्ययों का व्युत्क्रमण	-	(26.35)
जोड़ें: अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ	26,84.76	2,79.03
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	16.34	(3.06)
अंतिम शेष	**44,15.66**	**17,14.56**

टिप्पणी 14.2 आस्थगित आय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण कार्य हेतु	6,61,25.00	2,71,00.00
अंतिम शेष	**6,61,25.00**	**2,71,00.00**

टिप्पणी 14.2.1

भारतीय लेखाकरण मानक (IndAS) 20 के संबंध में प्रकटीकरण "सरकारी अनुदान का लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण"।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए 31.03.2020 तक प्राप्त अनुदान का विश्लेषित विवरण नीचे दिया गया है।

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
मौद्रिक अनुदान दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण कार्य हेतु		
– आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	3,74,25.00	1,00,00.00
– दिल्ली की एनसीटी की सरकार	86,00.00	86,00.00
– उत्तर प्रदेश सरकार	2,01,00.00	85,00.00
योग	**6,61,25.00**	**2,71,00.00**

टिप्पणी 15

उधार

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
अप्रत्याभूत ब्याज मुक्त गौण ऋण: – आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार द्वारा				
गौण ऋण	3,65,00.00		-	
गौण ऋण (केन्द्रीय कर)	40,00.00		-	
गौण ऋण (सरकारी भूमि)	1,45,00.00	5,50,00.00	-	-
भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (GNCTD)				
गौण ऋण	1,72,00.00		1,72,00.00	
गौण ऋण (केन्द्रीय कर)	3,00.00		3,00.00	
गौण ऋण (राज्य कर)	4,00.00	1,79,00.00	4,00.00	1,79,00.00
उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP)				
गौण ऋण	4,02,00.00		1,60,00.00	
गौण ऋण (केन्द्रीय कर)	21,00.00		5,00.00	
गौण ऋण (राज्य कर)	31,00.00		10,00.00	
गौण ऋण (सरकारी भूमि)	5,00.00	4,59,00.00	-	1,75,00.00
योग		**11,88,00.00**		**3,54,00.00**

व्याख्यात्मक टिप्पणी: –

अ) ऋण की शर्तें: भारत सरकार, दिल्ली की एनसीटी की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज मुक्त गौण ऋण भारत सरकार के अधिमानी ऋण के ब्याज के पुनर्भुगतान के पश्चात प्रतिदेय होंगे।

ब) भारत सरकार, दिल्ली की एनसीटी की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण/गौण ऋण उन्हीं नियमों/ शर्तों के अधीन हैं जिन पर ऐसे ऋण को अन्य मेट्रो परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है, उचित मूल्य पर माने जाते हैं।

टिप्पणी 16

अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पट्टा देयताएं	1,82.19	-
योग	**1,82.19**	**-**

विस्तृत विवरण के लिए भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS 116 के अनुसार टिप्पणी – 41 देखें

टिप्पणी 17

दीर्घावधि प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
– उपदान का प्रावधान	74.02	22.00
– अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	2,68.99	54.18
– अन्य कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	60.54	31.85
योग	**4,03.55**	**1,08.03**

टिप्पणी 18

अन्य गैर–चालू देयताऐ

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	45,00.00	10,00.00
योग	**45,00.00**	**10,00.00**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

दिल्ली एसएनबी कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को प्रदर्शित करता है, भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति लंबित होने से, प्राप्त निधि को इसकी प्रकृति के आधार पर अवर्गीकृत रखा गया है (अनुदान/ गौण ऋण)।

टिप्पणी 19

वित्तीय देयताएं

टिप्पणी 19.1 अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्ययों के देनदार	55,93.15	11,14.06
अग्रिम जमा राशि	99.13	1,76.00
प्रतिभूति जमा राशि	4,60.71	75.03
पट्टा देयताएं	3,45.99	-
योग	**64,98.98**	**13,65.09**

टिप्पणी 20

अन्य चालू देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वैधानिक बकाया		
– टीडीएस देय	7,04.32	1,52.80
– जीएसटी देय	3,72.02	28.31
– भवन एवं श्रम उपकर देय	76.57	4.37
भविष्य निधि	43.84	14.53
योग	**11,96.75**	**2,00.01**

टिप्पणी 21

अल्पावधि प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी हितलाभ प्रावधान		
– उपदान का प्रावधान	0.21	0.13
– अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	15.27	4.45
– अन्य कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	74.99	17.32
योग	**90.47**	**21.90**

टिप्पणी 22

अन्य आय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	38,92.05	7,51.94
योग (अ)	**38,92.05**	**7,51.94**
अन्य गैर–परिचालन आय		
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	3.66	6.83
अन्य विविध आय	2.48	8.52
विनिमय में उतार–चढ़ाव से लाभ	9.30	-
योग (ब)	**15.44**	**15.35**
कुल योग (अ + ब)	**39,07.49**	**7,67.29**

टिप्पणी 23

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और बोनस	29,49.32	14,47.45
कर्मचारी कल्याण व्यय	67.83	12.89
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान *	2,62.26	1,45.57
उप–योग	**32,79.41**	**16,05.91**
घटाएं: प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को हस्तांतरित (टिप्पणी संख्या 5.2.2 देखें)	30,84.89	14,76.29
योग	**1,94.52**	**1,29.62**

*प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए कर्मचारियों के मूल संगठनों को देय भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा, अवकाश हितलाभ और अन्य हितलाभों के लिए 45.60 लाख रुपए (पिछले वर्ष: 34.35 लाख रुपए) की राशि चुकता/ देय है और इसे कर्मचारी हितलाभ व्ययों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणी 24

वित्तीय लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	62.09	-
उप–योग	**62.09**	**-**
घटाएं: प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को अतंरित (टिप्पणी संख्या 5.2.3 देखें)	56.69	-
योग	**5.40**	**-**

टिप्पणी 25

मूल्य ह्रास और परिशोधन लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास (टिप्पणी–3 देखें)	4,03.33	2,69.56
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार पर मूल्य ह्रास (टिप्पणी–4 देखें)	3,33.19	-
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन (टिप्पणी–6 देखें)	65.39	2.52
उप–योग	**8,01.91**	**2,72.08**
घटाएं: प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को हस्तांतरित (टिप्पणी संख्या 5.2.1 देखें।)	**7,44.75**	**2,69.35**
योग	**57.16**	**2.73**

टिप्पणी 26

अन्य व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय किराया	1,09.53	2,93.74
शुल्क, दरें एवं कर	0.25	1.43
मरम्मत अनुरक्षण दृ मशीनरी और अन्य	46.78	8.12
बिजली एवं ईंधन	83.55	43.19
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	5,17.71	2,44.49
यात्रा व्यय	2,13.72	2,03.00
इंटरनेट प्रभार	33.39	15.53
लेखा परीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी संख्या – 26.1 देखें)	1.50	0.70
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	1,08.58	2,03.95
तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	14,68.50	4,98.94
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	79.19	58.80
परामर्श प्रभार	5,93.95	6,52.35
सुरक्षा सेवाएं	1,27.78	53.25
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	87.95	51.72
संचार व्यय	45.98	30.97
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	7.84	7.64
विज्ञापन एवं प्रचार – अन्य	6.59	15.41
विज्ञापन एवं प्रचार – निविदा	1,85.87	62.65
बैठक एवं सम्मलेन व्यय	73.68	2,96.40
शुल्क एवं अभिदान प्रभार	25.58	1.29
हाउसकीपिंग व्यय	95.16	87.25
सॉफ्टवेयर व्यय	67.99	16.13
आउटसोर्सिंग व्यय	3,93.59	1,68.22
कार्यालय व्यय	50.60	36.66
विविध व्यय	4.57	6.54
मशीनरी का किराया	3.12	-
उप– योग	**44,32.95**	**30,58.37**
घटाएं: प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को अंतरित (टिप्पणी संख्या 5.2.4 देखें)	42,31.18	28,07.47
योग	**2,01.77**	**2,50.90**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

भा.ले.मा.IndAS 116 के अनुसार पट्टे के परिसर को परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के रूप में लेने से कार्यालय किराया व्यय में 361.80 लाख रुपए की कमी हो गयी है।

टिप्पणी 26.1 लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रूप में लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.00	0.70
अन्य हैसियत में (जीएसटी लेखा परीक्षण)	0.50	-
योग	**1.50**	**0.70**

टिप्पणी 27

आयकर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आय कर:		
वर्तमान आयकर प्रभार	8,82.74	1,08.33
पिछले वर्ष का कर	4.68	(0.67)
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के लिए	**(1,23.54)**	**(2.65)**
योग	**7,63.88**	**1,05.01**

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच समाधान:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	34,48.64	3,84.04
आयकर पूर्व लेखा लाभ	**34,48.64**	**3,84.04**
भारत की वैधानिक आयकर की दर पर	8,67.95	1,06.84
उन राशियों पर कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य (कर योग्य) नही हैं		
जोड़ें: आयकर में भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS समायोजन मान्य नहीं है	0.02	0.01
दर और अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	14.76	1.48
आस्थगित कर की मान्यता	(1,23.54)	(2.65)
योग	**7,59.19**	**1,05.68**
लाभ और हानि विवरणों में संसूचित आयकर व्यय (जारी संचालन से संबंधित)	7,59.20	1,05.68
योग	**7,59.19**	**1,05.68**
प्रभावी आयकर दर पर	**22.01%**	**27.52%**

टिप्पणी 28

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपए प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	26.85	2.79
बंद प्रचालनों से	-	-
विलयित ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	26.85	2.79
बंद प्रचालनों से	-	-

28.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन ओर पिछले वर्ष की ईपीएस की संगणना में प्रयुक्त अर्जन और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या वर्ष के दौरान बोनस शेयर जारी करने के लिए समायोजन के बाद पुनर्कथित किया गया है।

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कंपनी की इक्विटी धारकों को होने वाला लाभः		
जारी प्रचालनों से	26,84.76	2,79.03
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल अर्जन की संगणना में प्रयुक्त अर्जन	**26,84.76**	**2,79.03**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	1,00.00	1,00.00

28.2 प्रति शेयर विलयित अर्जन

प्रति शेयर विलयित अर्जन संगणना में प्रयुक्त अर्जन और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्याः–

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कंपनी की इक्विटी धारकों को होने वाला लाभ:		
जारी प्रचालनों से	26,84.76	2,79.03
बंद प्रचालनों से		-
जारी प्रचालन से प्रति शेयर विलयित अर्जन की संगणना में प्रयुक्त अर्जन	26,84.76	2,79.03

प्रति शेयर विलयित अर्जन के प्रयोजन से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या निम्न रूप से प्रति शेयर मूल अर्जन की संगणना में प्रयुक्त इक्विटी की भारित औसत संख्या से मेल खाती है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	1,00.00	1,00.00
विलयन का प्रभाव:	-	-
प्रति शेयर विलयित अर्जन के प्रयोजन के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	1,00.00	1,00.00

टिप्पणी 29

पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य सुनाम–प्रतिष्ठान के रूप में आगे बढ़ने की क्षमताओं को सुनिश्चित और सुरक्षित रखते हुए पूंजी प्रबंधन द्वारा शेयर धारकों को अधिकतम प्रतिलाभ और अन्य साझेदारों को लाभ पहुंचाते रहना है।

साथ ही, वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के प्रकाश में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कंपनी अपने पूंजीगत ढांचे का प्रबंधन करती है। पिछली अवधि से वर्तमान अवधि में पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणी 30

उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	एफवीटीपीएल'/ एफवीटीओसीआ''	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल'/ एफवीटीओसीआ''	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्रतिभूति जमा	-	1,20.39	-	56.70
(ii) नकद और नकद समतुल्य	-	4,19,54.72	-	3,87,31.82
(iii) नकद और नकद समतुल्य अन्य बैंकों में शेष	-	6,94,36.63	-	1,19,00.76
(iv) अन्य	-	15,05.43	-	1,51.75
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**11,30,17.17**	**-**	**5,08,41.03**

वित्तीय देताएं				
(i) उधार	-	11,88,00.00	-	3,54,00.00
(ii) अन्य वित्तीय देताएं	-	1,82.19	-	-
– गैर–तात्कालिक				
(iii) अन्य वित्तीय देताएं – चालू	-	64,98.98	-	13,65.09
कुल वित्तीय देताएं	**-**	**12,54,81.17**	**-**	**3,67,65.09**

*लाभ और हानि के द्वारा उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य

(ii) परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली परिसंपत्तियां और देताएं जिनके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है।

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां प्रतिभूति जमा	72.41	62.18	54.46	54.45
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**72.41**	**62.18**	**54.46**	**54.45**

क. नकद और नकद समतुल्य और अन्य अल्पावधि प्राप्यों और अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ख. दीर्घावधि प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य की संगणना वर्तमान बाजार दर का उपयोग करते हुए बट्टागत नकद प्रवाह पर की गयी। उन्हें अलक्ष्य इनपुट में सम्मलित होने के कारण उचित मूल्यों के अनुक्रम में स्तर–3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में सम्मलित किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष (जैसे कीमतें) अथवा अप्रत्यक्ष (जैसे कीमतों द्वारा व्युत्पन्न) रूप से, संपत्ति अथवा देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार के आंकड़ों पर (अलक्ष्य इनपुट) आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका आवर्ती आधार और परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य माप अनुक्रम को प्रस्तुत करती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मापन अनुक्रम परिमाणात्मक प्रकटीकरण: – (रुपये लाख में)

31 मार्च 2020 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
प्रतिभूति जमा	-	-	62.18	62.18
योग	**-**	**-**	**62.18**	**62.18**
31 मार्च 2019 को				
परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
प्रतिभूति जमा	-	-	54.45	54.45
योग	**-**	**-**	**54.45**	**54.45**

टिप्पणी 31

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय लिखत से संबंधित जोखिमों से अनावृत नहीं है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अन्य देय, प्रितिभूति जमा और ईएमडी सम्मलित हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य तथा नकद और नकद समतुल्य सम्मलित हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इसके संचालन द्वारा प्राप्त होंगे। किन्तु बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम मुख्य प्रकार के जोखिम हैं। कंपनी जिन महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुगम्य है, वे नीचे वर्णित किए गए हैं: –

क) बाजार जोखिम

परियोजना का पहला कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा 8 मार्च, 2019 को स्वीकृत किया गया था और उसके बाद बहुपक्षीय/ अन्य एजेंसियों से उधार की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है और इसलिए, ब्याज दर जोखिम का निर्धारण नहीं किया गया है।

कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण, यदि कोई हो, के पुनर्भुगतान, और विदेशी मुद्रा में ृसंविदाकारों/ पूर्तिकारों को भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए सुगम्य होगी। वर्तमान में, कंपनी की विदेशी मुद्रा में नगण्य परिसंपत्तियां और देयताएं हैं और इसलिए वर्तमान परिसंपत्तियां और देयताओं के लिए कोई विनिमय जोखिम नहीं है।

कंपनी के लिए कोई मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम से अभिप्राय प्रतिपक्ष द्वारा उसके दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके कारण वित्तीय हानि होती है। मुख्य रूप से, प्रतिवेदन तिथि को ऋण जोखिम अनावरण (यद्यपि नगण्य) निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से होता है।

i) ऋण जोखिम प्रबंधन।

नकद और नकद समतुल्य।

नकद और नकद समतुल्य से संबंधित जोखिम का प्रबंधन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक दृष्टि के अधीन हैं, में निधियों को रखकर किया जाता है, और इन बैंकिंग संबंधों की अविरत आधार पर समीक्षा की जाती रहती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में परिशोधित लागत पर मापे गए कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को दिए गए ;ण और अग्रिम सम्मलित हैं।

ii) प्रत्याशित ऋण हानियां।

प्रतिवेदन तिथि पर कंपनी के समक्ष प्रत्याशित ऋण हानियां नहीं हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन सतत रूप से ऐसी राशियों की पुनर्प्राप्ति की निगरानी द्वारा होता है, जबकि इसके साथ सुचारू आंतरिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि इन राशियों की हानि न हो। प्रतिवेदन तिथियों पर इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई हानि का प्रावधान नहीं है। हम मानते हैं कि प्रतिवेदन तिथि पर उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की ऋण गुणवत्ता अच्छी है।

ग) चल निधि जोखिम

हमारी चल निधि की आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की चल निधि के मुख्य स्रोत प्रतिवेदन तिथि पर शेयर पूंजी में अभिदान द्वारा प्राप्त नकद और नकद समतुल्य, सरकारी अनुदान और गौण ऋण हैं।

कंपनी द्वारा चल निधि की आवश्यताओं की पूर्ति आगम नकद के सतत नियंत्रण और पर्याप्त नकद तथा नकद समतुल्य रखने से होती है। किसी प्रकार की कमी को निर्धारित करने के लिए कुल नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद के साथ की जाती है।

अल्पावधि चल निधि आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, व्यय देय और प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर व्यापार के सामान्य क्रियाकलापों द्वारा आने वाली प्रतिधारण राशि और जमा राशि सम्मिलित हैं। अपनी अल्पावधि चल निधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कंपनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष रखा जाता है।

कंपनी दीर्घावधि चल निधि की आवश्यकताओं का आकलन सामयिक आधार पर करती है और उनका प्रबंधन आंतरिक उपचय द्वारा होता है। कंपनी की गैर–चालू देयताओं में ब्याज मुक्त गौण ऋण का पुनर्भुगतान और पट्टे की देयता सम्मलित हैं।

नीचे दी गयी तालिका में वित्तीय देताओं की संविदागत परिपक्वताओं संबंधी विवरण दिया गया है। यह तालिका वित्तीय देताओं के लिए नकद प्रवाह के आधार पर उन निकटतम तिथियों पर आधारित है जब कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता पड़ेगी।

(रुपये लाख में)

31 मार्च 2020 को	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	-	-	-	11,88,00.00	11,88,00.00
अन्य वित्तीय देताएं	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**11,88,00.00**	11,88,00.00
31 मार्च 2019 को					
उधार	-	-	-	3,54,00.00	3,54,00.00
अन्य वित्तीय देताएं	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**3,54,00.00**	3,54,00.00

टिप्पणी 32

आकलन और धारणाएं

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं, और प्रतिवेदन अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत नीचे दिए गए हैं, जिनका अगले वित्त वर्ष की परिसंपत्तियों और देताओं की वहन राशि में वस्तुगत समायोजन कराने में बड़ा जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ प्रतिमान सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट, जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, किन्तु जहां यह व्यवहारिक नहीं है, वहां उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन निर्णयों में चल निधि जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर मनन करना सम्मलित है। इन कारकों के विषय में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखत के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जिससे कि यह सम्भावित हो सके कि कर योग्य लाभ मिलेगा जिससे हानियों का भी उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है, जो संभावित समय और भविष्यगत कर योग्य लाभ के स्तर सहित भविष्यगत कर योजनाओं की युक्तियों पर आधारित होते हैं।

ग) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोग आयु

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोग आयु टिप्पणी 2.7 के अनुसार दी गयी है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु बहुत सारे कारकों पर आधारित है जिनमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतियोगिता और अन्य आर्थिक कारक सम्मिलित हैं। प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अंत पर कंपनी सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोग आयु की समीक्षा करती है।

टिप्पणी 33

आकस्मिक देयता

आज की तारीख में कंपनी पर कोई आकस्मिक देयता नहीं है। पिछले वर्ष की समाप्ति पर आकस्मिक देयता 6.15 लाख रुपए की थी क्योंकि कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारिती वर्ष 2015–16 की पूरी छानबीन के संबंध में आयकर विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2017 का 6.15 लाख रुपए का मांग नोटिस प्राप्त हुआ था। इस मांग का निपटान विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत कर दिया गया है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आज की तारीख में कंपनी पर कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

टिप्पणी 34

संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

34.1 कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री अपूर्व कुमार सिंह	नामित निदेशक
श्री सुबोध अग्रवाल	नामित निदेशक (05.04.2019 से)
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक (07.05.2019 से)
श्री विजय कुमार देव	नामित निदेशक (28.05.2019 से)
श्री दीपक कुमार	नामित निदेशक (20.09.2019 से)
श्री कामरान रिजवी	नामित निदेशक (28.01.2020 से)
श्री अनिल कुमार श्रंगार्य	निदेशक – प्रोजेक्ट्स (15.07.2019 से)
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक – ईआरएस (15.07.2019 से)
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक – सिस्टम्स (15.07.2019 से)
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक – वित्त (20.09.2019 से)
श्री राजीव स्वरूप	नामित निदेशक (05.04.2019 तक)
श्री पी. गुरु प्रसाद	नामित निदेशक (15.04.2019 तक)
श्री राजेश अग्रवाल	नामित निदेशक (06–06–2019 तक)
श्री नितिन रमेश गोकरण	नामित निदेशक (27–06–2019 तक)
श्री देवेश चतुर्वेदी	नामित निदेशक (20.09.2019 तक)
श्री संजय मूर्ति कोंडू	नामित निदेशक (06.12.2019 तक)
श्री शिव दास मीना	नामित निदेशक (28.01.2020 तक)
श्री पीयूष अग्रवाल	नामित निदेशक (31–03–2020 तक)
श्री वाई. पी. सक्सेना	मुख्य वित्त अधिकारी (19.09.2019 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव (30.12.2019 से)
श्री साकेत कुमार सिंह	कंपनी सचिव (29.12.2019 तक)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशक के साथ लेन–देन

नाम	संबंध	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च 2020 को वर्ष समाप्ति	31 मार्च 2019 को वर्ष समाप्ति
शून्य	-	-	-	-

34.2 प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक:

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नवत था:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को वर्ष समाप्ति	31 मार्च 2019 को वर्ष समाप्ति
अल्पावधि हितलाभ	1,88.30	89.41
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	29.59	6.87
अन्य दीर्घावधि हितलाभ	39.09	5.36
कुल	**2,56.98**	**1,01.64**

टिप्पणी 35

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नवत था:

(रुपये लाख में)

वर्ष	अपेक्षित व्यय	अव्ययित
वित्तीय वर्ष 2016–17	8.14	8.14
वित्तीय वर्ष 2017–18	12.14	12.14
वित्तीय वर्ष 2018–19	11.20	11.20
कुल	**31.48**	**31.48**

टिप्पणी:

31.03.2019 को अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की संचयी शेष राशि 31.48 लाख रुपए थी। बोर्ड ने 13.03.2020 को अपनी 22वीं बैठक में सीएसआर कमेटी द्वारा 06.03.2020 को संपन्न हुई इसकी चौथी बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस राशि को अग्रनयन करने का निर्णय लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013, के साथ पठित कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के अधीन सीएसआर प्रावधानों के अनुप्रयोज्यता के संबंध में, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पिछले वित्त वर्ष, अर्थात 2018–19 के दौरान सीएसआर योगदान के लिए निर्दिष्ट किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करती।

नए प्रकार के कोरोना वायरस (कोविड–19) के पूरे भारत में प्रसार को देखते हुए और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित करने पर, कंपनी की सीएसआर कमेटी ने 31.03.2020 को निर्णय लिया और प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि (पीएम केयर फंड) में सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के लिए 30 लाख रुपए का योगदान दिया और 03.04.2020 को इसका भुगतान कर दिया गया।

सीएसआर की शेष अव्ययित 1.48 लाख रुपए की धनराशि को, वर्तमान नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत, सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के लिए अगले वित्त वर्ष अर्थात 2020–21 के लिए अग्रसारित कर दिया गया है।

टिप्पणी 36

भारतीय लेखाकरण मानक (Ind AS)–19 "कर्मचारी हितलाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

36.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नवत है:

क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। इस देयता को उपार्जन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ख) उपदान:

प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक समय की निरंतर सेवा की है, वह सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा–समाप्ति, और विकलांगता अथवा मृत्य होने पर, की गयी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से (15/26 अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है। भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS–19 के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है।

ग) पेंशन:

पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन के 2.5% की दर से कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है।

इस अवधि के लिए अंशदान हेतु प्रावधान को उपार्जन आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के विषय में, पेंशन अंशदान की गणना प्रदाता संगठन/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और उपार्जन आधार पर लेखांकित की जाती है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

कंपनी की सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवनसाथी को, नियमित कर्मचारी पर लागू समान दर के अनुसार, भर्ती चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है।

इसकी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य प्रदान की जाती है।

ङ) अवकाश:

कंपनी द्वारा, कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और आधा वेतन अवकाश प्रदान किया जाता है, जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन और 20 दिन उपचित होता है। केवल नकदीकरण योग्य अवकाश खाते के अवकाश को सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों के अवकाश (गैर नकदीकरण योग्य भाग और संराशीकरण के बिना अर्द्ध वेतन अवकाश) का नकदीकरण किया जा सकता है।

इस विषय की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के विषय में, अवकाश वेतन अंशदान उनके मूल विभाग/संगठन को उनके द्वारा आहरित वेतन पर, उनके मूल विभाग/संगठन के नियमों के आधार पर देय होता है और इसे उपार्जित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

च) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी):

कंपनी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर गृह–नगर अथवा कहीं और अपने परिवार के साथ आराम और मनोरंजन का लाभ उठाने के लिए की गयी यात्रा में हुए व्ययों को पूरा करने के लिए अपनी नीतियों के अनुसार समय–समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस विषय की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

36.2 लाभ और हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन पत्र तथा अन्य प्रकटीकरण में विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
दायित्व का प्रारम्भिक वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15
अधिग्रहण समायोजन	22.21	1,22.59	-	-
ब्याज लागत	1.70	4.49	0.03	1.47
वर्तमान सेवा लागत	48.13	2,20.51	0.16	41.59
भुगतान किए गए/अपलिखित हितलाभ	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	(19.94)	(1,21.96)	(0.14)	(1.88)
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	74.23	2,84.26	0.44	60.33

31 मार्च 2019 को				
दायित्व का प्रारम्भिक वर्तमान मूल्य	4.32	10.30	1.66	1.29
ब्याज लागत	0.33	0.79	-	0.10
वर्तमान सेवा लागत	16.21	45.34	-	14.78
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-	(1.27)	-
दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1.27	2.20	-	2.98
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15

(ख) योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
योजनागत परिसंपत्तियों का प्रारम्भिक उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	74.23	2,84.26	0.44	60.33
निधिक स्थिति	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को				
योजनागत परिसंपत्तियों का प्रारम्भिक उचित मूल्य	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
दायित्व का अंतिम वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15
निधिक स्थिति	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
वर्ष के अंत में दायित्वों का आकलित वर्तमान मूल्य	74.23	2,84.26	0.44	60.33
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निधिक स्थिति	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	74.23	2,84.26	0.44	60.33

31 मार्च 2019 को				
वर्ष के अंत में दायित्वों का आकलित वर्तमान मूल्य	22.13	58.63	0.39	19.15
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निधिक स्थिति	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	22.13	58.63	0.39	19.15

(घ) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
वर्तमान सेवा लागत	48.13	2,20.51	0.16	41.59
ब्याज लागत	1.70	4.49	0.03	1.47
बीमांकिक लाभ और हानि	-	(1,21.96)	(0.14)	-
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	49.83	1,03.04	0.05	43.06
31 मार्च 2019 को				
वर्तमान सेवा लागत	16.21	45.34	-	14.78
ब्याज लागत	0.34	0.79	-	0.10
बीमांकिक लाभ और हानि	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	16.55	46.13	-	14.88

(ङ) अन्य व्यापक आय (लाभ) / हानि में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
योजनागत परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	-	-	-	-
दायित्व का पुनर्मापन	(19.95)	-	-	(1.88)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ) / हानि	**(19.95)**	-	-	**(1.88)**
31 मार्च 2019 को				
योजनागत परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	-	-	-	-
दायित्व का पुनर्मापन	1.27	2.20	-	2.98
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ) / हानि	1.27	2.20	-	2.98

(च) गैर चालू और चालू दायित्व में वर्गीकरण

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
गैर चालू प्रावधान	74.02	2,68.99	0.22	60.32
चालू प्रावधान	0.21	15.27	0.22	0.01
कुल प्रावधान	**74.23**	**2,84.26**	**0.44**	**60.33**
31 मार्च 2019 को				
गैर चालू प्रावधान	22.00	54.18	0.19	19.15
चालू प्रावधान	0.13	4.45	0.20	-
कुल प्रावधान	**22.13**	**58.63**	**0.39**	**19.15**

(छ) भारित औसत के रूप में व्यक्त मुख्य बीमांकिक धारणा

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
बट्टा दर	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%
अभ्यारोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	6.50%	6.50%	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
31 मार्च 2019 को				
बट्टा दर	7.66%	7.66%	7.66%	7.66%
अभ्यारोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	6.50%	6.50%	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

(ज) तुलन पत्र में उपदान के संबंध में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र द्वारा यथा अभिनिर्धारित, दिनांक 31.03.2020 को 74.23 लाख रुपए और दिनांक 31.03.2019 को 22.13 लाख रुपए है।

संवेदनशीलता विश्लेषण:

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए किसी धारणा में परिवर्तन पर आधारित है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ धारणाओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाओं के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय वित्तीय स्थिति के विवरण के भीतर मान्यता प्राप्त परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना करते समय एक ही विधि (अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि) का अनुप्रयोग किया गया है।

31 मार्च 2020 को परिवर्तन	धारणाओं में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	अवकाश यात्रा छूट पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ पर प्रभाव
बट्टा दर	+0.5%	(5.21)	(19.64)	लागू नहीं	(4.14)
	-0.5%	5.76	21.68	लागू नहीं	4.56
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	5.76	10.95	लागू नहीं	लागू नहीं
	-0.5%	(5.25)	8.99	लागू नहीं	लागू नहीं
31 मार्च 2019 को परिवर्तन	**धारणाओं में परिवर्तन**	**उपदान दायित्व पर प्रभाव**	**अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव**	**अवकाश यात्रा छूट पर प्रभाव**	**सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ पर प्रभाव**
बट्टा दर	+0.5%	(1.45)	(3.64)	लागू नहीं	लागू नहीं
	-0.5%	1.59	3.99	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	1.60	2.42	लागू नहीं	लागू नहीं
	-0.5%	(1.47)	2.09	लागू नहीं	लागू नहीं

परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(रुपये लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा छूट	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ
31 मार्च 2020 को	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
0–1 वर्ष	0.21	15.27	0.44	0.01
1–2 वर्ष	0.16	8.39	-	0.53
2–3 वर्ष	0.80	9.86	-	1.96
3–4 वर्ष	1.43	16.59	-	3.01
4–5 वर्ष	4.59	9.10	-	1.37
5–6 वर्ष	4.19	11.73	-	3.61
6 वर्ष से आगे	62.85	2,13.32	-	49.84

टिप्पणी 37

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" में परिभाषित किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की सूचना नहीं है जिसका कंपनी पर कोई बकाया हो।

टिप्पणी 38

परिसंपत्तियों की हानि

समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन का मत है कि कंपनी की गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन आशा से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र तिथि पर किसी भी परिसंपत्ति में कोई हानि नहीं है।

टिप्पणी 39

शेष अभिपुष्टि

देनदारों, अग्रिम और लेनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई कुछ शेष राशियां पुष्टि/ मिलान / समायोजन यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी पक्षकारों को पुष्टि के लिए पत्र भेजती रही है। किन्तु, कंपनी को वसूली, भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार के तथ्यात्मक विवाद की आशा नहीं है।

टिप्पणी 40

संविदात्मक प्रतिबद्धता

परियोजना के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धता 33,77,36.71 लाख रुपए है। (पिछले वर्ष यह 48,78.11 लाख रुपए थी।)

टिप्पणी 41

भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS–116 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक Ind AS–116 में "पट्टे" को अंगीकृत कर लिया है और संशोधित पूर्वव्यापी विधि द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टे अनुबंधों पर मानक लागू कर दिए हैं और प्रारम्भिक आवेदन की तिथि से प्रतिधारित उपार्जन के लिए संचित समायोजन को ले लिया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और संगत बट्टा देयता को शेष बट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य को प्रारम्भिक आवेदन की तिथि से लेकर संसूचित करने के विकल्प को चुना है और इसलिए भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS–116 के अंगीकरण के कारण प्रतिधारित उपार्जन पर प्रभाव शून्य है।

(ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मकों को समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित लेखा नीतियों के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता रहेगा।

(iii) प्रारंभिक आवेदन में चयनित व्यवहारिक उपायों का संक्षिप्त विवरण।

अ) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर 12 माह से कम अवधि वाले पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं के उपयोग के अधिकार को मान्यता नहीं दने की छूट को लागू किया।

ब) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के मापन में से प्रारम्भिक प्रत्यक्ष लागतों को अलग कर दिया है।

स) भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS–116 केवल उन्हीं अनुबंधों पर लागू होगा जो पहले भारतीय लेखा मानक Ind AS–17 के अंतर्गत वर्गीकृत पट्टे थे।

द) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू किया।

क) पट्टे की शर्तों को निर्धारित करते समय दूरदृष्टि का प्रयोग करें कि अनुबंध में पट्टे को आगे बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं।

(iv) भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS–17 के अधीन पट्टा देयता और परिवर्तन की तिथि पर पट्टा देयता के मूल्य के बीच अंतर मुख्य रूप से भारतीय लेखाकरण मानक Ind AS–116 के अधीन वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं पर बट्टा है।

(v) पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील ऋण दर 7.50% (एसबीआई 3एम–एमसीएलआर) है।

(vi) कंपनी द्वारा संचालित पट्टे के अंतर्गत परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क्रं.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टा अवधि	समाप्ति की शर्तें	विस्तार के विकल्प
(अ)	मेरठ में कार्यालय भवन	3 वर्ष	3 वर्षों की परिबंधन अवधि	पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों की आपसी सहमति से नवीनीकरण हो सकता है
(ब)	गाज़ियाबाद में कार्यालय भवन	3 वर्ष	3 वर्षों की परिबंधन अवधि	
(स)	सीडब्ल्यूजी ग्राम में भूमि	5 वर्ष	पट्टाकर्ता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टाकर्ता को अनुबंध आगे बढ़ाने का अधिकार है
(क)	कॉर्पोरेट कार्यालय	4 वर्ष	पट्टेदार को नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों की आपसी सहमति से नवीनीकरण हो सकता है
(ख)	आईएनए में भूमि	2 वर्ष	शर्तो मात्र का निर्वाह नहीं होने पर निरस्तरणीय	–
(ग)	गुडगांव में कार्यालय	3 वर्ष	1 वर्ष और 2 माह की परिबंधन अवधि	–

(vii) पट्टा देयताओं में गतिविधि

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को
वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8,27.90
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	62.09
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्गमन	3,61.81
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**5,28.18**

(viii) कंपनी ने कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों की अल्पावधि पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया है. इन पट्टों से संबंधित व्ययों को पट्टा देयता के मापन में सम्मलित नहीं किया जाता है। इनके विवरण इस प्रकार हैं:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को
अल्पावधि के पट्टे	1,09.53
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे	-
योग	**1,09.53**

(ix) तुलन पत्र में प्रस्तुत पट्टा देयताएं इस प्रकार हैं:–

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को
चालू भाग	3,45.99
गैर चालू भाग	1,82.19
योग	**5,28.18**

(x) 31मार्च 2020 को गैर बट्टा आधारित पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के विवरण:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम समय अवधि	1–2 वर्ष	2 वर्ष अथवा अधिक समयअवधि
पट्टा देयताएं	3,85.60	1,78.36	19.43
योग	**3,85.60**	1,78.36	19.43

(xi) परिवर्तनीय पट्टे भुगतान से संबंधित व्यय शून्य हैं।

(xii) परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के उप–बट्टे से प्राप्त आय कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) बिक्री और पट्टा वापसी लेन–देन से लाभ/ हानि कंपनी पर लागू नहीं हैं।

टिप्पणी 42

कोविड–19 प्रकटीकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नए प्रकार के कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रकोप को 11 मार्च, 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी और गैर–आवश्यक व्यापारों को अस्थायी रूप से लॉकडाउन करने का आदेश दिया और लोगों, माल और सेवाओं आदि के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रकृतिस्वरूप कंपनी व्यापार के गैर–आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आने से, कंपनी को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट लॉकडाउन आदेशों के अनुपालन में चल रही परियोजनाओं में निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोक देना पड़ा। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों द्वारा परियोजना निष्पादन में बाधा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और लॉकडाउन के समय में लोगों की अनुपलब्धता के रूप में कंपनी का सामान्य प्रचालन प्रभावित हुआ है।

केंद्र और राज्य सरकार ने निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। कंपनी ने, केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन करते हुए, उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी ने मई के आरंभ से क्रमिक रूप में विभिन्न परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी ने आवश्यक सावधानियों का पालन किया है और सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भलाई के लिए अनेक उपक्रम किए हैं। कंपनी ने कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट आदेशों और दिशा–निर्देशों को सम्मलित करते हुए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से लागू कर दिया है।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी का विश्वास है कि वर्ष 2019–20 में, कोविड–19 महामारी का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

चल निधि

कंपनी के पास अपने संचालन के लिए पर्याप्त चल निधि उपलब्ध है।

वर्तमान आर्थिक स्थितियों पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कंपनी को अपने व्यापार की सामान्य गतिविधियों द्वारा संपत्ति, व्यापारिक प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों जैसी अपनी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की भरपाई करने की अपेक्षा है।

कोविड 19 के कारण, डिपो और स्टेशन में प्रवेश/ निकास के लिए भूमि की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। उपलब्ध निधि का प्रयोग भूमि अधिप्राप्ति और अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

कोविड 19 के भविष्यगत प्रभाव का आकलन

परियोजना स्थलों पर कार्य आरंभ होने से कंपनी लगातार अपने प्रचालन की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण नष्ट हुए समय को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन के कारण व्यवधान के प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन और सूचित करना पड़ेगा। बहुत कुछ राज्य और केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी को रोकने के लिए विभिन्न प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। इसलिए इस अवस्था में भविष्यगत प्रभाव के बारे में अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

टिप्पणी 43

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, आवश्यकतानुसार, वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के प्रति तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः एकत्रित/ पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 44

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए 24 जुलाई, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या/No. PDA/INFRA/ND/IHQ-I/27-32/20-21/18

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated: 27/8/2020

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
7/6, सिरी फोर्ट, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049

विषयः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्नः शून्य टिप्पणियों

ह./-
(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक

कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वार्षिक विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर इस अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा संबंधी निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह बात उनके द्वारा तैयार उनकी दिनांक 24 जुलाई,2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कही गई है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है, जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसको अनुपूरित करने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह./-
(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इंफ्रास्ट्रक्चर)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 अगस्त, 2020

गणमान्य व्यक्तियों का अभ्यागमन

श्री ताकीहीको नकाओ, अध्यक्ष, एशियाई विकास बैंक
(28.10.2019)

श्री विनोद कुमार यादव, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
(12.11.2019)

श्री जोश रेमोन बरनानों, भारत में स्पेन के राजदूत
(30.05.2019)

श्री माइकल बेरो, महानिदेशक, एशियाई विकास बैंक
(28.11.2019)

श्री विश्वेश चौबे, सदस्य इंजीनियरिंग (रेलवे बोर्ड)
(20.04.2019)

श्री जनक कुमार गर्ग, मेट्रो रेल संरक्षा के प्रमुख
(20.02.2020)

श्री सेंग ग्युन, अध्यक्ष और सीईओ, कोरिया रेल नेटवर्क प्राधिकरण
(13.02.2020)

यूके के प्रतिनिधिमंडल का दौरा
(21.10.2019)

गतिविधियों की एक झलक

आरआरटीएस कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए परामर्श कार्यशाला
(17.09.2019)

मोदीनगर में सामुदायिक विचार–विमर्श
(20.02.2020)

नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप
(21.02.2020)

ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेव्लपमेंट एवं वैल्यू केप्चर फाइनेंसिंग पर कार्यशाला
(15.06.2019)

12वें यूएमआई सम्मेलन और एक्स्पो 2019 में एनसीआरटीसी स्टॉल का उदघाटन

एनसीआरटीसी स्टॉल, 12वां यूएमआई सम्मेलन और एक्स्पो 2019

प्रबंध निदेशक पुरस्कार से सम्मानित अधिकारीगण प्रबंध निदेशक के साथ
(23.08.2019)

एनसीआरटीसी का स्टॉल, 64वां राष्ट्रीय पुरस्कार और रेलवे प्रदर्शनी, अंबाला
(21.07.2019)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
7/6 सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110049
फोन: +91-11-41066943 फैक्स: +91-11-41066953
CIN No. U60200DL2013GOI256716
www.ncrtc.in

www.silenttpartners.com